



बिहार सरकार
वित्त विभाग

परिणाम बजट

2017-18

अब्दुल बारी सिद्दिकी
वित्त मंत्री

(मार्च, 2017)

विषय सूची

क्र.	पृष्ठ
1	प्राक्कथन 1
2	बिहार एवं भारत के लिये मुख्य विकास सूचकांक 2
3	कुल वार्षिक स्कीम 2017-18 में उद्ध्यय की प्रवृत्तियाँ (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम सहित) 3-4
4	वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्षिक स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम सहित) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में प्रावधानित राशि 5-6
5	कृषि विभाग 7-14
6	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 15-20
7	भवन निर्माण विभाग 21-27
8	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 28-29
9	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 30-32
10	सहकारिता विभाग 33-34
11	उर्जा विभाग 35-37
12	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 38
13	वित्त विभाग 39
14	पंचायती राज विभाग 40-42
15	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 42
16	पर्यावरण एवं वन विभाग 43-44
17	स्वास्थ्य विभाग 45-48
18	शिक्षा विभाग 49-59
19	गृह विभाग 60-61
20	उद्योग विभाग 62-64
21	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 65
22	सूचना प्रावैधिकी विभाग 66
23	श्रम संसाधन विभाग 67-70
24	विधि विभाग 70
25	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 71-72
26	सामान्य प्रशासन विभाग 72

27	योजना एवं विकास विभाग	73-74
28	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	75-76
29	ग्रामीण कार्य विभाग	77
30	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	78
31	आपदा प्रबंधन विभाग	79-85
32	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	86
33	पथ निर्माण विभाग	87
34	ग्रामीण विकास विभाग	88-91
35	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	92-93
36	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	94-97
37	गन्ना उद्योग विभाग	98
38	पर्यटन विभाग	99
39	परिवहन विभाग	100
40	नगर विकास एवं आवास विभाग	101-108
41	जल संसाधन विभाग	109-111
42	लघु जल संसाधन विभाग	112-113
43	समाज कल्याण विभाग	114-118

प्राक्कथन

सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दशानि वाली विवरणी “परिणाम बजट” की पहल 2006-07 में शुरू की गई थी । इसी परिपाटी के क्रम में वर्ष 2017-18 के लिए परिणाम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2. परिणाम बजट एक ऐसा व्यय पूर्व माध्यम है जिससे व्यय के पश्चात् समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता का आकलन किया जा सकता है । परिणाम बजट के माध्यम से आम जनता को सम्भावित परिणामों की जानकारी मिलती है और सरकार की वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । सरकार द्वारा जनता के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उनकी जानकारी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ।

3. मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि आम जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी व्यय का परिणाम जानना आवश्यक है । वर्ष 2017-18 का परिणाम बजट भी व्यय की उपयोगिता समझने में मदद करेगी । इससे जन साधारण के लिए संभावित परिणामों से संबंधित महत्वपूर्ण आँकड़े तथा सूचना देकर नागरिकों के “सूचना का अधिकार” को अत्यधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा ।

4. मैं मानता हूँ कि लोक व्यय का अंतिम एवं मुख्य लक्ष्य बिहार जैसे राज्य में गरीबी कम करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना तथा जीवन स्तर के लिए आधारभूत सुविधायें जैसे- सड़क, बिजली, पानी आदि में सुधार लाना है । परिणाम बजट ऐसे सूचकों की समीक्षा करने में मददगार साबित होगा । राज्य सरकार बिहार राज्य को प्रगति एवं विकास के मार्ग पर लाने के लिए वचनबद्ध है । परिणाम बजट सरकार के इस जबाबदेही को भी सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित हुआ है ।

5. वर्ष 2017-18 के परिणाम बजट में स्कीम तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में महत्वपूर्ण योजनाओं में दर्शाये गये परिव्यय से अनुमानित भौतिक उपलब्धि को प्रस्तुत किया जा रहा है । परिणाम बजट को आम जनता के लिए उपयोगी बनाने में संबंधित लोगों की भागीदारी आवश्यक है ।

इसी आशा के साथ मैं वर्ष 2017-18 के लिए परिणाम बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ । मैं आश्वासन देता हूँ कि आगामी वर्षों में आप सभी के सहयोग एवं सुझावों से इस दस्तावेज को और बेहतर एवं आम लोगों के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सकेगा ।

बिहार एवं भारत के लिए मुख्य विकास सूचकांक				
क्र० सं०	विवरण	अद्यतन आंकड़ा		राष्ट्रीय औसत से (प्रतिशत में)
		राष्ट्रीय औसत	बिहार	
1	जनसंख्या (करोड़ में) (2011)	121.00	10.40	8.60
2	जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कि. मी. (2011)	382.00	1106.00	289.5
3	आर्थिक वृद्धि दर (प्रतिशत में) (2011-12 से 2015-16)	6.80	7.60	111.76
4	प्रति व्यक्ति आय (रु० में) (2015-16)	77435.00	26801.00	34.60
5	गरीबी (प्रतिशत) बी. पी. एल. (2011-12)	21.90	33.70	153.90
6	सड़क की लंबाई प्रति लाख जनसंख्या (2014)	371.90	201.50	54.20
7	कुल रेल रूट प्रति लाख जनसंख्या (2014)	5.40	3.50	64.80
8	वाहनों की संख्या प्रति 1000 व्यक्ति (2015)	173.50	45.90	26.50
9	दूरभाष घनत्व प्रति 1000 व्यक्ति (2015)	83.40	54.30	65.10
10	अशोधित जन्म दर प्रति हजार (2014)	21.00	25.90	123.30
11	अशोधित मृत्यु दर प्रति हजार (2014)	6.70	6.20	92.50
12	नवजात शिशु (स्त्री) मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म) (2014)	40.00	46.00	115.00
13	नवजात शिशु (पुरुष) मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म) (2014)	37.00	39.00	105.40
14	मातृत्व मृत्यु दर (2011-13)	167.00	208.00	124.60
15	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा-पुरुष के लिये (2010-14)	66.40	67.80	102.10
16	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा-महिलाओं के के लिये (2010-14)	69.60	68.40	98.30
17	लिंग अनुपात महिला प्रति हजार पुरुष (सभी आयु वर्ग) (2011)	943.00	918.00	97.30
18	शिशु लिंग अनुपात महिला प्रति हजार पुरुष (2011)	919.00	935.00	101.70
19	साक्षरता दर (2011)	72.90	61.80	84.80
20	पुरुष साक्षरता दर (2011)	80.90	71.20	88.00
21	महिला साक्षरता दर (2011)	64.60	51.50	79.70
22	सकल नामांकन दर 6-10 वर्ष (2015-16)	99.20	107.70	108.60
23	मानव विकास सूचकांक (2011)	0.50	0.45	88.70
24	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (इकाईयों में) (2014-15)	1010.00	203.00	20.10
25	साख जमा अनुपात (2015-16)	79.00	44.99	56.95
26	कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत (2011)	25.50	19.10	74.90
स्रोत :- क्र० सं० 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21 एवं 26- जनगणना 2011 (भारत सरकार), 3 एवं 4 -केन्द्रीय सांख्यिकी संस्थान, 5-योजना आयोग 6 एवं 8-परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार, 7-रेल मंत्रालय, भारत सरकार, 9-दूर संचार मंत्रालय, भारत सरकार, 10,11,12,13,14,15,एवं 16 -प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, 22 -डाइस, 23-यू एन० डी० पी०, 25 - भारतीय रिजर्व बैंक				

कुल वार्षिक स्कीम 2017-18 में उद्ध्यय की प्रवृत्तियाँ (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम सहित)

(राशि करोड़ रुपये में)

मांग संख्या	मद	2017-18 का बजट अनुमान	कुल उद्ध्यय में अंश
	1	2	3
21	शिक्षा विभाग	14217.89	17.50
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	135.45	0.17
20	स्वास्थ्य	3562.42	4.38
49	जल संसाधन	2959.17	3.64
50	लघु जल संसाधन	395.30	0.49
01	कृषि	2207.12	2.72
41	पथ निर्माण	5703.39	7.02
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	2009.89	2.47
42	ग्रामीण विकास	9424.32	11.60
10	उर्जा	6795.60	8.36
03	भवन निर्माण	3384.79	4.17
35	योजना एवं विकास	2682.22	3.30
47	परिवहन	11.00	0.01
48	नगर विकास एवं आवास	2734.61	3.36
23	उद्योग	771.88	0.95
45	गन्ना उद्योग	101.84	0.13
46	पर्यटन	91.01	0.11
37	ग्रामीण कार्य विभाग	8516.86	10.48
51	समाज कल्याण	5948.9	7.32
11	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1522.09	1.87
30	अल्पसंख्यक कल्याण	567.33	0.70
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1097.24	1.35
26	श्रम संसाधन	316.18	0.39

	1	2	3
40	राजस्व एवं भूमि सुधार	152.24	0.19
22	गृह	359.19	0.44
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन	332.5	0.41
09	सहकारिता	639.7	0.79
04	मंत्रिमंडल सचिवालय	224.8	0.28
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	1.00	0.00
12	वित्त	62.00	0.08
19	पर्यावरण एवं वन	178.46	0.22
39	आपदा प्रबंधन	51.26	0.06
33	सामान्य प्रशासन	58.53	0.07
27	विधि	0.50	0.00
24	सूचना एवं जन संपर्क	90.12	0.11
8	कला संस्कृति एवं युवा	57.95	0.07
25	सूचना प्रौद्योगिकी	219.29	0.27
16	पंचायती राज	2136.21	2.63
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1546.97	1.90
	महायोग	81267.22	100.00

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्षिक स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम सहित) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में प्रावधानित राशि

(राशि करोड़ रुपये में)

मांग संख्या	मद	2017-18 का बजट अनुमान	कुल प्रावधान में अंश
	1	2	3
21	शिक्षा	25251.39	15.72
43	विज्ञान एवं प्रवैधिकी	213.45	0.13
20	स्वास्थ्य	7001.52	4.36
49	जल संसाधन	3814.07	2.37
50	लघु जल संसाधन	606.82	0.38
01	कृषि	2644.74	1.65
41	पथ निर्माण	6635.90	4.13
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	2434.41	1.52
42	ग्रामीण विकास	9717.48	6.05
10	उर्जा	10905.03	6.79
03	भवन निर्माण	4007.34	2.50
35	योजना एवं विकास	2841.73	1.77
47	परिवहन	60.06	0.04
48	नगर विकास एवं आवास	4335.01	2.70
23	उद्योग	843.26	0.53
45	गन्ना उद्योग	118.58	0.07
46	पर्यटन	109.87	0.07
37	ग्रामीण कार्य विभाग	9518.05	5.93
51	समाज कल्याण	6006.26	3.74
11	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1536.09	0.96
30	अल्पसंख्यक कल्याण	595.07	0.37
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1301.90	0.81
26	श्रम संसाधन	468.95	0.29
40	राजस्व एवं भूमि सुधार	862.22	0.54

	1	2	3
22	गृह	7447.95	4.64
06	निर्वाचन	90.88	0.06
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन	581.12	0.36
09	सहकारिता	750.45	0.47
13	सूद भुगतान	9591.36	5.97
14	ऋण अदायगियाँ	4797.28	2.99
15	पेंशन	19877.63	12.38
04	मंत्रिमंडल सचिवालय	414.21	0.26
05	राज्यपाल सचिवालय	20.09	0.01
07	निगरानी	36.21	0.02
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	152.80	0.10
12	वित्त	956.58	0.60
17	वाणिज्य-कर	129.13	0.08
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1644.73	1.02
19	पर्यावरण एवं वन	318.97	0.20
39	आपदा प्रबंधन	1069.40	0.67
33	सामान्य प्रशासन	524.40	0.33
34	बिहार लोक सेवा आयोग	22.60	0.01
27	विधि	696.89	0.43
28	उच्च न्यायालय	166.42	0.10
31	संसदीय कार्य	2.01	0.00
32	विधान मण्डल	171.36	0.11
29	खान एवं भूतत्व	25.85	0.02
24	सूचना एवं जन संपर्क	204.56	0.13
08	कला संस्कृति एवं युवा	137.55	0.09
25	सूचना प्राविधिकी	248.64	0.15
16	पंचायती राज	8694.43	5.41
	महायोग	160602.70	100.00

**परिणाम बजट
2017-2018**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-2401000010214	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान-कृषि	302.61	0.00	302.61	कर्मचारियों/पदाधिकारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने एवं प्रशासनिक नियंत्रण पर व्यय किया जाना है।
	1-2401000010314	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान-कृषि	0.00	201.74	201.74	
	1-2401007890240	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेस प्लान - कृषि	58.33	0.00	58.33	
	1-2401007890340	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेस प्लान - कृषि	0.00	38.89	38.89	
	1-2401007960262	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेस प्लान - कृषि	3.65	0.00	3.65	
	1-2401007960362	राज्य स्कीम	नेशनल ई-गवर्नेस प्लान - कृषि	0.00	2.43	2.43	
2	1-2401001020201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	7,405.92	0.00	7,405.92	सभी जिलों में फसल विविधीकरण के अन्तर्गत धान, गेहूँ, दलहन, जूट एवं गन्ना फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने का कार्य किया जाना है।
	1-2401001020301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	8,300.00	8,300.00	
	1-2401007890237	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1,427.65	0.00	1,427.65	
	1-2401007890323	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	1,600.00	1,600.00	
	1-2401007960259	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	89.23	0.00	89.23	
	1-2401007960359	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	100.00	100.00	
3	1-2401001030109	राज्य स्कीम	बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	0.00	11,893.76	11,893.76	227 कृषि प्रक्षेत्रों पर प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर व्यय किया जाना है। साथ ही, हरी खाद एवं गोबर गैस का कार्य किया जाना है।
	1-2401007890117	राज्य स्कीम	बीज उत्पादन कार्यक्रम	0.00	2,292.77	2,292.77	
	1-2401007960140	राज्य स्कीम	बीज उत्पादन कार्यक्रम	0.00	143.30	143.30	

**परिणाम बजट
2017-2018**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1-2401001040205	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	1,175.18	0.00	1,175.18	विभिन्न जिलों में क्लस्टर स्थापित कर जैविक विधि से खेती एवं जैविक प्रमाणीकरण हेतु किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
	1-2401001040305	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	932.09	932.09	
	1-2401007890241	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	226.54	0.00	226.54	
	1-2401007890341	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	179.68	179.68	
	1-2401007960263	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	14.16	0.00	14.16	
	1-2401007960363	राज्य स्कीम	परम्परागत कृषि विकास योजना	0.00	11.23	11.23	
5	1-2401001050106	राज्य स्कीम	जैविक खेती का उन्नयन	0.00	10,770.88	10,770.88	सभी जिलों में वर्मी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाना है।
	1-2401007890126	राज्य स्कीम	जैविक खेती का उन्नयन	0.00	2,076.34	2,076.34	
	1-2401007960148	राज्य स्कीम	जैविक खेती का उन्नयन	0.00	129.78	129.78	
6	1-2401001050207	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	2,038.95	0.00	2,038.95	सभी जिलों में ड्रीप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया जाना है।
	1-2401001050307	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.00	1,359.31	1,359.31	
	1-2401007890238	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	393.05	0.00	393.05	
	1-2401007890338	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.00	262.03	262.03	
	1-2401007960258	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	24.57	0.00	24.57	
	1-2401007960358	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.00	16.37	16.37	

**परिणाम बजट
2017-2018**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	1-2401001080220	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	146.08	0.00	146.08	सभी जिलों में तेलहन, दलहन, मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए समेकित योजना का कार्य किया जाना है।
	1-2401001080320	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	106.70	106.70	
	1-2401007890234	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	28.16	0.00	28.16	
	1-2401007890334	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	20.56	20.56	
	1-2401007960256	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	1.76	0.00	1.76	
	1-2401007960356	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.00	1.28	1.28	
8	1-2401001090103	राज्य स्कीम	बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	0.00	14,525.00	14,525.00	सुखाड़ प्रभावित जिलों के किसानों को सिंचाई हेतु डीजल अनुदान दिया जाना है। साथ ही, फसल बीमा योजना पर राशि व्यय किया जाना है।
	1-2401007890125	राज्य स्कीम	बाढ़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	0.00	2,800.00	2,800.00	
	1-2401007960147	राज्य स्कीम	बाढ़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	0.00	175.00	175.00	
9	1-2401001090106	राज्य स्कीम	इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट	0.00	15,604.00	15,604.00	कृषकों को आधुनिक तकनीक की जानकारी दिया जाना है, 7168 किसान सलाहकार का मानदेय का भुगतान एवं राज्य किसान आयोग के स्थापना व्यय तथा भाड़े की गाड़ी का भुगतान किया जाना है। द्वारा विकास एवं टाल विकास, जीरो टिलेज विधि से गेहूँ की खेती के प्रत्यक्ष पर व्यय किया जाना है।
	1-2401007890106	राज्य स्कीम	इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट	0.00	3,008.00	3,008.00	
	1-2401007960134	राज्य स्कीम	इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट	0.00	188.00	188.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1-2401001090216	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	16,600.00	0.00	16,600.00	खरीफ महाभियान के अंतर्गत 40605 एकड़ में श्री विधि से धान की खेती, 35900 एकड़ में प्रत्यक्ष के लिए किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराना एवं 77880 एकड़ में जीरो टिलेज विधि से गेहूँ की खेती का प्रत्यक्ष किया जाना है। धान रोपने के लिए पैडी ट्रांसप्लान्टर तथा ड्रम सीडर को बढ़ावा दिया जाना है। इसके अलावा कृषि में समग्र विकास हेतु अन्य विविध मदों में राशि का व्यय किया जाना है।
	1-2401001090316	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	0.00	14,525.00	14,525.00	
	1-2401007890203	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	3,200.00	0.00	3,200.00	
	1-2401007960231	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	200.00	0.00	200.00	
	1-2401007960331	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	0.00	175.00	175.00	
11	1-2401001090217	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	3,785.33	0.00	3,785.33	सभी जिलों में कृषि तकनीक का सघन प्रचार-प्रसार किया जाना है।
	1-2401001090317	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	2,656.00	2,656.00	
	1-2401007890236	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	729.70	0.00	729.70	
	1-2401007890336	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	512.00	512.00	
	1-2401007960260	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	45.61	0.00	45.61	
	1-2401007960360	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	32.00	32.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	1-2401001090218	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	6,606.68	0.00	6,606.68	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत जलछाजन विकास कार्य तथा ड्रीप एवं स्पीकलर की योजना पर राशि व्यय किया जाना है।
	1-2401001090318	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	6,313.46	6,313.46	
	1-2401007890239	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	1,273.58	0.00	1,273.58	
	1-2401007890339	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	1,217.05	1,217.05	
	1-2401007960261	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	79.60	0.00	79.60	
	1-2401007960361	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	76.06	76.06	
13	1-2401001090319	राज्य स्कीम	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	0.00	664.00	664.00	राज्य में बीज ग्राम योजना एवं बीज ग्राम के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन के उपयोग से बीज उपलब्धता एवं उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाना है।
	1-2401007890343	राज्य स्कीम	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	0.00	128.00	128.00	
	1-2401007960365	राज्य स्कीम	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	0.00	8.00	8.00	
	1-2401001090419	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	1,234.19	0.00	1,234.19	
	1-2401007890443	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	237.91	0.00	237.91	
	1-2401007960465	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	14.87	0.00	14.87	

**परिणाम बजट
2017-2018**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	1-2401001090514	राज्य स्कीम	एग्रीविजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट	0.00	83.00	83.00	कृषि बाजार का उन्नयन कार्य किया जाना है।
	1-2401007890532	राज्य स्कीम	एग्रीविजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	0.00	16.00	16.00	
	1-2401007960554	राज्य स्कीम	एग्रीविजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	0.00	1.00	1.00	
15	1-2401001130105	राज्य स्कीम	प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	0.00	14,940.00	14,940.00	कृषि यांत्रिकरण कार्य के लिए व्यय किया जाना है।
	1-2401007890120	राज्य स्कीम	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	0.00	2,880.00	2,880.00	
	1-2401007960143	राज्य स्कीम	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन	0.00	180.00	180.00	
16	1-2401001130217	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	1,164.52	0.00	1,164.52	राज्य में फार्म मशीनरी बैंक एवं गुणवत्तायुक्त आधुनिक कृषि यंत्र केन्द्र स्थापित किया जाना है एवं चयनित गाँवों में कृषि यांत्रिकरण का प्रचार-प्रसार किया जाना है।
	1-2401001130317	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	0.00	776.36	776.36	
	1-2401007890245	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	224.49	0.00	224.49	
	1-2401007890345	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	0.00	149.65	149.65	
	1-2401007960267	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	14.03	0.00	14.03	
	1-2401007960367	राज्य स्कीम	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन	0.00	9.35	9.35	
17	1-2401001190101	राज्य स्कीम	उद्यान विकास योजना	0.00	6,391.00	6,391.00	1094538 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र का विस्तार किया जाना है। साथ ही बागवानी के विभिन्न अवयवों पर राशि व्यय किया जाना है।
	1-2401007890130	राज्य स्कीम	उद्यान विकास योजना	0.00	1,232.00	1,232.00	
	1-2401007960152	राज्य स्कीम	उद्यान विकास योजना	0.00	77.00	77.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	1-2401001190224	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2,183.73	0.00	2,183.73	23 जिलों में फसल विविधिकरण एवं उद्यान विकास कार्य किया जाना है।
	1-2401001190324	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.00	1,455.82	1,455.82	
	1-2401007890235	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	420.96	0.00	420.96	
	1-2401007890335	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.00	280.64	280.64	
	1-2401007960257	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	26.31	0.00	26.31	
	1-2401007960357	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0.00	17.54	17.54	
19	1-2402001020112	राज्य स्कीम	भूमि संरक्षण कार्य	0.00	2,490.00	2,490.00	17 जिलों में वर्षा आश्रित क्षेत्रों में जलछाजन विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कार्य किया जाना है।
	1-2402001020213	राज्य स्कीम	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	2,490.00	0.00	2,490.00	
	1-2402007890101	राज्य स्कीम	भूमि संरक्षण कार्य	0.00	480.00	480.00	
	1-2402007890202	राज्य स्कीम	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	480.00	0.00	480.00	
	1-2402007890302	राज्य स्कीम	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	0.00	320.00	320.00	
	1-2402007960108	राज्य स्कीम	भूमि संरक्षण कार्य	0.00	30.00	30.00	
	1-2402007960209	राज्य स्कीम	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	30.00	0.00	30.00	
	1-2402007960309	राज्य स्कीम	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	0.00	20.00	20.00	
20	1-2402001020313	राज्य स्कीम	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	0.00	1,660.00	1,660.00	10 जिलों में वर्षा आश्रित क्षेत्रों में जलछाजन विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कार्य किया जाना है।
21	1-2415010040107	राज्य स्कीम	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	0.00	664.00	664.00	सभी जिलों में मिट्टी, बीज एवं उर्वरक जाँच एवं मिट्टी जाँच प्रयोगशाला का सुदृढीकरण कार्य किया जाना है।
	1-2415017890107	राज्य स्कीम	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	0.00	128.00	128.00	
	1-2415017960105	राज्य स्कीम	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	0.00	8.00	8.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

कृषि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	1-2415012770101	राज्य स्कीम	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	166.00	166.00	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना व्यय हेतु एवं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
	1-2415017890105	राज्य स्कीम	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	32.00	32.00	
	1-2415017960108	राज्य स्कीम	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	2.00	2.00	
23	1-2415012770108	राज्य स्कीम	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	0.00	16,434.00	16,434.00	बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर एवं इसके अधीन कृषि महाविद्यालयों के स्थापना व्यय एवं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
	1-2415017890103	राज्य स्कीम	बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	0.00	3,168.00	3,168.00	
	1-2415017960104	राज्य स्कीम	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	0.00	198.00	198.00	
24	1-2415012770312	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	996.00	996.00	राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
	1-2415017890308	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	192.00	192.00	
	1-2415017960309	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	12.00	12.00	
25	1-2435601010101	राज्य स्कीम	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	830.00	830.00	किसानों द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज की राशि पर अनुदान दिया जाना है।
	1-2435607890101	राज्य स्कीम	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	160.00	160.00	
	1-2435607960101	राज्य स्कीम	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	10.00	10.00	
26	1-4401000510101	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	2,490.00	2,490.00	मीठापुर स्थित कृषि कार्यालय भवन के निर्माण पर व्यय किया जाना है।
	1-4401007890101	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	480.00	480.00	
	1-4401007960101	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	30.00	30.00	
योग				54,377.35	1,62,535.07	2,16,912.42	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2-2403001010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अस्पताल एवं औषधालय और अन्य स्थापना	0.00	11,079.73	11,079.73	36.46 लाख पशुओं की चिकित्सा, 1.57 लाख पशुओं का बंधियाकरण एवं 340.00 लाख पशुओं का टीकाकरण का कार्य किया जाना है।
2	2-2403001020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमरांव)	0.00	193.51	193.51	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना में पशुओं की क्षमता-650, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरांव में पशुओं की क्षमता-450, जिनसे उन्नत नस्ल के प्रजनन का कार्य किया जाना है।
3	2-2403001020007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मवेशी मेला एवं प्रदर्शनी और पशु-कल्याण	0.00	93.58	93.58	पशु प्रदर्शनी एवं स्टॉल की संख्या-03, पशुधन प्रतियोगिता का आयोजन-02, किसानों का साथ बैठक-20, स्लोगन प्लेट का निर्माण-10, विडियो फिल्म का निर्माण-06, खींचे गये फोटोग्राफ की संख्या-400, प्रसार कार्य हेतु फिल्म-05, पशुपालन साहित्य का वितरण-40,000 पर व्यय किया जाना है।
4	2-2403001070001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	चारा और खाद्य विकास	0.00	169.66	169.66	इस योजना के अन्तर्गत चारा एवं चारा बीजों का किसानों के बीच मुफ्त वितरण किया जाना है।
5	2-2403001090001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रसार एवं प्रशिक्षण	0.00	44.88	44.88	100 पशुधन सहायक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
6	2-2403001010101	राज्य स्कीम	अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना	0.00	4,232.00	4,232.00	पशु चिकित्सालयों/औषधालयों का सुदृढीकरण इस हेतु संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सक, पशु परिचर एवं चौकीदार-सह-झाड़ूकश का भुगतान, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, चालक का मानदेय भुगतान । एम्बुलेटरी भान को जी०पी०एस० सिस्टम से सुसज्जित किया जाना है। प्राण रक्षक पशु दवा तथा मशीन एवं उपस्कर का क्रय। पशु चिकित्सकों को निजी मोटर साईकिल हेतु ईंधन एवं निजी मोबाईल हेतु रिचार्ज कूपन उपलब्ध कराने एवं टीकाकर्मियों का मानदेय भुगतान किया जाना है।
7	2-2403001020101	राज्य स्कीम	फ़ोजन सीमेन बैंक	0.00	1,420.00	1,420.00	फ़ोजन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन का सुदृढीकरण एवं बाह्य स्रोत से आवश्यकता अनुसार कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	2-2403001030106	राज्य स्कीम	मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और	0.00	1,500.00	1,500.00	लो-इनपुट प्रजाति के कुक्कुटों का उत्पादन एवं वितरण, राज्य के 5 कुक्कुट प्रक्षेत्र, यथा- पटना, भागलपुर, पूर्णियां, मुजफ्फरपुर एवं किशनगंज में उत्पादित चूजों को चार सप्ताह तक मदर युनिट में पाल कर बी०पी०एल० परिवारों को अनुदानित दर पर वितरण तथा एवियन इन्फ्लुएंजा रोग का प्रभावी नियंत्रण हेतु सर्वेक्षण किया जाना है। लेयर फार्म की स्थापना हेतु मुर्गीपालको को अनुदान दिया जाना है।
9	2-2403001040102	राज्य स्कीम	अवि एवं आजा का पोषण एवं विकास	0.00	900.00	900.00	बकरीपालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियाँ के स्थापना, रख-रखाव एवं सुदृढ़ीकरण की योजना पर व्यय किया जाना है। तीन प्रजनन योग्य बकरियों का प्रति परिवार वितरण, स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के बकरों का निःशुल्क वितरण, निजी बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाना है।
10	2-2403001050102	राज्य स्कीम	सूओरों का विकास	0.00	10.00	10.00	सुकर प्रजनन-सह-सुकर पालन प्रशिक्षण संस्थान योजना अन्तर्गत राज्य में सुकर पालन को बढ़ावा देने हेतु सुकर नस्ल सुधार कार्य तथा इस व्यवसाय से जुड़े बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
11	2-2403001060111	राज्य स्कीम	एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना	0.00	68.00	68.00	इस परियोजनान्तर्गत ऋतुवार प्रमुख पशु उत्पादों के आँकड़ा का संकलन कर समेकित प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाना है। ये आँकड़े विभागीय योजनाओं के सूत्रण का मुख्य आधार है।
	2-2403001060411	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना	90.00	0.00	90.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	2-2403001060210	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1,134.00	0.00	1,134.00	इस कार्यक्रम के तहत पशुओं का संक्रामक रोग से बचाव हेतु सघन टीकाकरण अभियान के तहत एच०एस० बी०क्यू० टीकाकरण/स्वाइन फीवर टीकाकरण पशुओं का कृमिनाशक दवाओं का वितरण। कुक्कुटों का टीकाकरण कार्यक्रम। पशु पालकों, पशु चिकित्सकों एवं पारा-भेट को पशु चिकित्सा सेवा से संबंधित नवीनतम तकनीकी एवं पशु रोगों के बचाव से संबंधित जानकारी देने हेतु सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के सुदृढीकरण की योजना। राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में कार्यरत कर्मियों की स्थापना। एफ०एम०डी० रोग के विरुद्ध टीकाकरण, स्वानों में एंटी रेबिज टीकाकरण किया जाना है।
	2-2403001060310	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	756.00	756.00	
13	2-2403001060212	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	126.00	0.00	126.00	इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बैक यार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना के तहत लो इनपुट प्रजाति के चूजों को चार सप्ताह में मदर यूनिट में पाल कर जीविका के माध्यम से वितरण किया जाना है। दक्षता विकास की योजना एवं पशु मेला का आयोजन के साथ पशु-बीमा का कार्य किया जाना है।
	2-2403001060312	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.00	84.00	84.00	
14	2-2403001090108	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	780.00	780.00	कौशल विकास मिशन योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार-युवक/युवतियों को स्वरोजगार सृजन हेतु पशुपालन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना है।
	2-2403007890108	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	200.00	200.00	
	2-2403007960127	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	20.00	20.00	
15	2-2403007890101	राज्य स्कीम	बैक यार्ड बकरी पालन योजना	0.00	400.00	400.00	समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना अन्तर्गत उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) का अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच निःशुल्क वितरण किया जाना है। निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाना है।
	2-2403007960124	राज्य स्कीम	बैक यार्ड बकरी पालन योजना	0.00	30.00	30.00	
16	2-2403007890102	राज्य स्कीम	बैक यार्ड मुर्गी पालन योजना	0.00	610.00	610.00	बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना अन्तर्गत एक दिवसीय लो इनपुट प्रजाति के चूजों का क्रय कर उन्हें चार सप्ताह तक मदर यूनिट में पालकर ग्रामीण अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच निःशुल्क जीविका के माध्यम से वितरण किया जाना है। लेयर फार्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	2-2403007890109	राज्य स्कीम	पशुधन विकास की योजना	0.00	630.00	630.00	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत बाह्य श्रोत से आवश्यकता अनुसार गर्भाधान का कार्य किया जाना है।
18	2-2403007890206	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	216.00	0.00	216.00	एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० कम्पौनेंट के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुओं के टीकाकरण एवं कृमिनाशन का कार्य किया जाना है।
	2-2403007890306	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	144.00	144.00	
19	2-2403007890207	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	24.00	0.00	24.00	नेशनल लाईव स्टॉक मिशन (एन०एल०एम०) के अन्तर्गत ग्रामीण बैक यार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना के तहत लो इनपुट प्रजाति के चूजों का क्रय कर चार सप्ताह तक मदर युनिट में पालकर अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच वितरण किया जाना है।
	2-2403007890307	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.00	16.00	16.00	
20	2-2403007960125	राज्य स्कीम	बैक यार्ड मुर्गी पालन योजना	0.00	90.00	90.00	बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना अन्तर्गत एक दिवसीय लो इनपुट प्रजाति के चूजों का क्रय कर उन्हें चार सप्ताह तक मदर युनिट में पालकर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बीच निःशुल्क वितरण किया जाना है। लेयर फॉर्म की स्थापना पर अनुदान दिया जाना है।
21	2-2404001020103	राज्य स्कीम	प्रशिक्षण	0.00	190.00	190.00	दुग्ध समितियों के 150 सचिवों को समिति संचालन से संबंधित प्रशिक्षण कम्पेड में, 960 महिला सदस्यों को पशु स्वास्थ्य एवं प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण डी०एन० एस० पटना में, 450 कृषकों/सदस्यों को स्वच्छ दूध उत्पादन प्रशिक्षण एन०डी०आर०आई०, करनाल में तथा 1496 दुग्ध उत्पादकों का जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण जिला स्तर पर प्रदान किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	2-2404001020115	राज्य स्कीम	गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएं	0.00	7,695.00	7,695.00	02 दूधारू मवेशी की 3737 डेरी इकाई, 05 दूधारू मवेशी की 600 डेरी इकाई, 10 दूधारू मवेशी की 350 डेरी इकाई तथा एवं 20 दूधारू मवेशी की 150 डेरी इकाई की स्थापना 50 प्रतिशत अनुदान पर सभी जिलों में किया जायेगा। 402 दुग्ध समितियों में दुध उत्पादन प्रतियोगिता का आयोजन, राजगीर, सोनपुर एवं बाँसी में मेला प्रदर्शनी एवं योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा कम्पेड के माध्यम से एन०सी०डी०सी० को सूद की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
23	2-2404007890101	राज्य स्कीम	ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ	0.00	1,520.00	1,520.00	02 दूधारू मवेशी की 1014 डेरी इकाई, 05 दूधारू मवेशी की 150 डेरी इकाई की स्थापना 75 प्रतिशत अनुदान पर राज्य अंतर्गत सभी जिलों में किया जाना है तथा 390 महिला एवं 390 पुरुष सदस्यों को पशु स्वास्थ्य एवं प्रबंधन प्रशिक्षण डी०एन०एस० पटना में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
24	2-2404007960101	राज्य स्कीम	प्रशिक्षण एवं विस्तार	0.00	95.00	95.00	02 दूधारू मवेशी की 80 डेरी इकाई की स्थापना 75 प्रतिशत अनुदान पर राज्य अंतर्गत सभी जिलों में किया जाना है तथा 150 सदस्यों को पशु स्वास्थ्य एवं प्रबंधन प्रशिक्षण डी०एन०एस० पटना में प्रदान किया किया जाना है।
25	2-2405000010101	राज्य स्कीम	मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन	0.00	176.00	176.00	डाटाबेस-सह-सूचना केन्द्र के पदों का अवधि विस्तार, संविदा के आधार पर वाहन चालकों की सेवा प्राप्त करने पर सं०म०नि० (प्रशि० एवं प्र०) के सुजित पदों के अवधि विस्तार पर तथा विविध कर्मियों के संविदा नियोजन पर व्यय किया जाना है।
26	2-2405000010102	राज्य स्कीम	मत्स्य प्रसार	0.00	631.00	631.00	मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण, कार्यशाला पर भी०पी०एन० योजना, म०प्र०पदा० के पदों का अवधि विस्तार एवं मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों हेतु भोजनादि की व्यवस्था पर राशि का व्यय किया जाना है। कम्प्यूटर हेतु सामग्री आदि के क्रय, तालाब के सर्वेक्षण हेतु सेटलाईट मैपिंग कार्य पर राशि का व्यय किया जाना है।
27	2-2405001010102	राज्य स्कीम	मछुआ सहयोग समितियों के सदस्यों के सामूहिक जीवन	0.00	31.00	31.00	3 लाख मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना एवं राहत-सह-बचत की योजना पर व्यय किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	2-2405001010104	राज्य स्कीम	तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	0.00	4,952.64	4,952.64	मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत नए तालाबों का निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नवनिर्मित/विकसित तालाबों के लिए प्रथम वर्ष इनपुट, मत्स्य आहार योजना, मत्स्य बीज का निर्माण एवं ट्यूबवेल पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना तथा नीली क्रांति योजना अन्तर्गत मछुआ आवास योजना को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजनाओं पर व्यय किया जाना है।
29	2-2405001010107	राज्य स्कीम	मत्स्य अनुसंधान योजना	0.00	15.00	15.00	मत्स्य अन्वेषणालय की स्थापना पर व्यय किया जाना है।
30	2-2405007890101	राज्य स्कीम	मछुआरों की सहायता	0.00	1,119.17	1,119.17	नर्सरी तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन पर व्यय किया जाना है।
	2-2405007960109	राज्य स्कीम	मछुआरों की सहायता	0.00	69.95	69.95	
31	2-2415032770101	राज्य स्कीम	बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	10.00	10.00	बिहार पशुविज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना से संबंधित आरंभिक कार्य हेतु अनुदान दिया जाना है।
32	2-2405001010419	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन	1,200.00	0.00	1,200.00	नीली क्रांति के तहत नए तालाबों का निर्माण, आर्द्र भूमि का विकास, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, नवनिर्मित/विकसित तालाबों के लिए प्रथम वर्ष इनपुट, मछुआ आवास योजना आदि पर राशि का व्यय किया जाना है।
33	2-3454010010405	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	पशुधन गणना	2,065.17	0.00	2,065.17	इस योजना के द्वारा बिहार राज्य अन्तर्गत 20वीं पशुधन गणना एवं ब्रीड सर्वे एवं मत्स्य से संबंधित गणना का कार्य किया जाना है, जिसके आधार पर पशुपालन से संबंधित योजनाओं का सूत्रण किया जाना है।
योग				4,855.17	39,976.12	44,831.29	

**परिणाम बजट
2017-2018**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3-2059010530102	राज्य स्कीम	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जीर्णोद्धार	0.00	50.00	50.00	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आधुनिकीकरण पर व्यय किया जाना है ।
2	3-2059010530104	राज्य स्कीम	गृह विभाग (आरक्षी) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार	0.00	100.00	100.00	गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है।
3	3-2059010530105	राज्य स्कीम	गृह विभाग (विशेष शाखा) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार	0.00	100.00	100.00	गृह विभाग (विशेष शाखा) के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाना है।
4	3-2059010530118	राज्य स्कीम	वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.00	50.00	50.00	वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण किया जाना है ।
5	3-4047000510101	राज्य स्कीम	वाणिज्यकर विभाग के भवन	0.00	603.77	603.77	प्रमंडल/अंचल कार्यालयों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार/चहारदीवारी से संबंधित कार्य कराया जाना है।
6	3-4047000510105	राज्य स्कीम	कोषागार कार्यालयों में अतिरिक्त संसाधन अधिष्ठापन	0.00	200.00	200.00	जिला कोषागार एवं अनुमंडलीय कोषागार का भवन निर्माण कराया जाना है एवं फर्नीचर की व्यवस्था कराया जाना है।
7	3-4055000510103	राज्य स्कीम	नया पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण- गृह (आरक्षी) विभाग	0.00	10,000.00	10,000.00	निर्माणाधीन नया पुलिस मुख्यालय के लिए राशि व्यय किया जाना है।
8	3-4059010510101	राज्य स्कीम	भवन	0.00	14,643.52	14,643.52	विधान मंडल एवं सचिवालय विस्तारीकरण कार्य के अन्तर्गत विधान मंडल एवं सचिवालय ब्लॉक 2, 3, 4 का कार्य, नालंदा के हरनौत प्रखंड के कल्याण विगहा में इन्डोर शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट एवं परिसर विकास कार्य एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा की प्रतिमा का अधिष्ठापन कार्य पर राशि का व्यय किया जाना है। विगत वर्षों में स्वीकृत योजनाओं को वर्ष 2017-18 में पूर्ण किया जाना है।
9	3-4059010510105	राज्य स्कीम	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	0.00	600.00	600.00	पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग के आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु पशु चिकित्सालयों का भवन निर्माण एवं चहारदीवारी का निर्माण किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	3-4059010510106	राज्य स्कीम	मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के लिये अभिलेख प्रकोष्ठ	0.00	291.00	291.00	मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग के लिए अभिलेख प्रकोष्ठ सह कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार एवं अभिलेख भवन में 500 व्यक्तियों के बैठने हेतु सभाकक्ष का निर्माण किया जाना है।
11	3-4059010510107	राज्य स्कीम	वित्त विभाग के भवन	0.00	500.00	500.00	वित्त विभाग के निदेशालय हेतु संयुक्त भवन निर्माण का कार्य कराया जाना है।
12	3-4059010510110	राज्य स्कीम	निबंधन विभाग के भवन	0.00	161.79	161.79	अवर निबंधन कार्यालय जयनगर (मधुबनी) एवं अवर निबंधक कार्यालय धमदाहा (पूर्णियाँ) तथा अवर निबंधक, धमदाहा (पूर्णियाँ) के आवासीय भवन का निर्माण कार्य किया जाना है।
13	3-4059010510111	राज्य स्कीम	उत्पाद विभाग के भवन	0.00	200.00	200.00	उत्पाद रसायन परीक्षक, कुम्हार पटना के कार्यालय भवन के सुसज्जीकरण, मॉडल लैब एवं अन्य कार्यों के निमित्त विभाग द्वारा भवन निर्माण किया जाना है।
14	3-4059010510116	राज्य स्कीम	संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	0.00	3,819.43	3,819.43	राज्य के शेष जिलों में संयुक्त श्रम भवन एवं अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए विशेष नियोजनालयों के कार्यालय निर्माण पर व्यय किया जाना है।
	3-4059017890103	राज्य स्कीम	संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	0.00	1,058.51	1,058.51	
	3-4059017960106	राज्य स्कीम	संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	0.00	122.06	122.06	
15	3-4059010510117	राज्य स्कीम	प्रखंड के भवन(ग्रामीण विकास विभाग)	0.00	30,114.18	30,114.18	राज्य के भवनहीन प्रखण्ड एवं जर्जर अवस्था वाले प्रखण्डों के नये प्रखण्ड कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण पर व्यय किया जाना है।
16	3-4059010510118	राज्य स्कीम	पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण (पंचायती राज विभाग)	0.00	300.00	300.00	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का आधुनिकीकरण किया जाना है।
17	3-4059010510119	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवन	0.00	3,735.00	3,735.00	कृषि विभाग के पुराने भवनों का जीर्णोद्धार एवं नये जिला कृषि कार्यालय के निर्माण पर व्यय किया जाना है।
	3-4059017890102	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवन	0.00	720.00	720.00	
	3-4059017960105	राज्य स्कीम	कृषि कार्यालय भवन	0.00	45.00	45.00	
18	3-4059010510122	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय	0.00	2,500.00	2,500.00	जिला अल्पसंख्यक कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना है।
19	3-4059010510124	राज्य स्कीम	बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु	0.00	1.00	1.00	बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय कक्ष/भवन के निर्माण किया जाना है।
20	3-4059017890101	राज्य स्कीम	अनुसूचित जाति के भवन	0.00	35,000.00	35,000.00	9 नया आवासीय विद्यालय, 5 नया छात्रावास भवनों का निर्माण तथा 15 आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जाना है।
	3-4059017960104	राज्य स्कीम	अनुसूचित जनजाति के भवन	0.00	12,000.00	12,000.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	3-4059600510101	राज्य स्कीम	सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण	0.00	50.00	50.00	सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब का जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण किया जाना है।
22	3-4059600510105	राज्य स्कीम	केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण	0.00	1,000.00	1,000.00	राज्य के 36 काराओं में विभिन्न निर्माण कार्य एवं मंडल कारा किशनगंज का निर्माण कार्य किया जाना है।
23	3-4059600510106	राज्य स्कीम	स्टेडियम एवं खेल संरचना	0.00	10,000.00	10,000.00	कंकड़बाग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का विकास, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 38 जिलों के सभी प्रखण्डों में खेल संरचना का निर्माण एवं विकास तथा नालन्दा जिला अन्तर्गत राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स अकादमी का निर्माण तथा जिमनाजियम-सह-खेल भवन का निर्माण किया जाना है।
24	3-4059600510107	राज्य स्कीम	सांस्कृतिक संरचना	0.00	20,801.35	20,801.35	बिहार संग्रहालय का निर्माण, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण, संग्रहालय भवन, प्रेक्षागृहों एवं अन्य सांस्कृतिक संरचना का निर्माण, पुनर्संयोजन, जीर्णोद्धार एवं विकास तथा पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों का संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया जाना है।
25	3-4059600510112	राज्य स्कीम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के	0.00	12,699.90	12,699.90	पूर्व से स्थापित औ० प्र० संस्थान एवं प्रस्तावित 18 नये औ० प्र० संस्थान/ 08 महिला औ० प्र० संस्थान के बेहतर भवनों का निर्माण किया जाना है।
26	3-4059600510114	राज्य स्कीम	अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र सह आधुनिक	0.00	500.00	500.00	कुल 534 अंचलों में से 315 अंचलों के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 52 फिनिसिंग स्तर पर है। शेष अंचलों के भवन निर्माण का कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण करने पर व्यय किया जाना है।
27	3-4059600510116	राज्य स्कीम	जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण	0.00	387.17	387.17	8 जिलों में जिला परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पर व्यय किया जाना है।
28	3-4059600510120	राज्य स्कीम	व्यवहार न्यायालय पटना में जी+7 कोर्ट भवन	0.00	50.00	50.00	पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में संयुक्त न्यायालय भवन (सेमी बेसमेन्ट एवं जी+7) कोर्ट रूम, चैम्बर, कार्यालय, रेकॉर्ड रूम तथा मिडियेशन सेन्टर का निर्माण पर व्यय किया जाना है।
29	3-4059600510121	राज्य स्कीम	पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण	0.00	400.00	400.00	पटना, उच्च न्यायालय की विस्तारीकरण का कार्य पर व्यय किया जाना है।
30	3-4059600510123	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भवन	0.00	5,000.00	5,000.00	मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के अंतर्गत 20-25 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता भत्ता उपलब्ध कराया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	3-4059600510218	राज्य स्कीम	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	425.00	0.00	425.00	4 बालक छात्रावास का निर्माण किया जाना है।
	3-4059600510318	राज्य स्कीम	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	0.00	425.00	425.00	
32	3-4059600510222	राज्य स्कीम	कौशल विकास योजना	1,500.00	0.00	1,500.00	एल० डब्लू ई० के अंतर्गत छः औ० प्र० संस्थान एवं औ० प्र० संस्थान मढौरा को मॉडल आई० टी० आई० के रूप में विकसित करने हेतु औ० प्र० संस्थान के भवनों के निर्माण पर व्यय किया जाना है।
	3-4059600510322	राज्य स्कीम	कौशल विकास योजना	0.00	850.00	850.00	
	3-4059607890305	राज्य स्कीम	कौशल विकास योजना	0.00	100.00	100.00	
	3-4059607960302	राज्य स्कीम	कौशल विकास योजना	0.00	50.00	50.00	
33	3-4059607890106	राज्य स्कीम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	0.00	6,005.92	6,005.92	पूर्व में स्थापित औ० प्र० संस्थान एवं प्रस्तावित नये औ० प्र० संस्थान/महिला औ० प्र० संस्थान के बेहतर भवनों का निर्माण पर व्यय किया जाना है।
	3-4059607960103	राज्य स्कीम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	0.00	294.18	294.18	
34	3-4059800510105	राज्य स्कीम	न्यायिक भवन हेतु	0.00	800.00	800.00	आरा, बेगूसराय, दरभंगा, नवगछिया एवं सीवान में कोर्ट भवन का निर्माण कार्य प्रगति में है। बाँका में 4 कोर्ट भवन के ऊपर 6 कोर्ट भवन एवं रेकर्ड रूम एवं अरवल में परिवार न्यायालय सह मिडिएशन केन्द्र का निर्माण किया जाना है।
35	3-4059800510109	राज्य स्कीम	बिहार राज्य न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान हेतु छात्रा	0.00	100.00	100.00	बिहार न्यायिक अकादमी का संस्थान एवं छात्रावास में विविध कार्य किया जाना है।
36	3-4059800510110	राज्य स्कीम	न्यायिक भवनों (भवन निर्माण विभाग)	0.00	100.00	100.00	माननीय उच्च न्यायालय में प्री फैब कार्यालय का निर्माण प्रगति में है तथा अतिरिक्त भूमि का चाहरदिवारी कार्य पूर्ण किया जाना है।
37	3-4059800510117	राज्य स्कीम	इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं	0.00	9,821.94	9,821.94	विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के भवनों का जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जाना है।
38	3-4059800510118	राज्य स्कीम	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं	0.00	5,800.00	5,800.00	बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाना है।
39	3-4059800510119	राज्य स्कीम	सरकारी भूमि की घेराबंदी	0.00	40.00	40.00	सरकारी भूमि के लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सरकारी भूमि का संरक्षण कर भूमि सुरक्षित किये जाने हेतु सरकारी भूमि की घेराबंदी किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	3-4059800510122	राज्य स्कीम	आई०टी० भवन	0.00	500.00	500.00	राज्य सरकार के द्वारा आई.टी. रोड मैप की स्वीकृति की गयी है, जिसके तहत पटना में आई.टी. टॉवर, बन्दर बागीचा में आई.टी. पार्क के साथ-साथ मेगा आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं टेकनिकल इन्सटिट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस सच एज आई.आई.आई.टी. का निर्माण किया जाना है।
41	3-4059800510220	राज्य स्कीम	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	11,000.00	0.00	11,000.00	व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ, मुंगेर, नालंदा (बिहारशरीफ), लखीसराय, दानापुर, मसौढ़ी, हिलसा, मंझौल, अरवल छपरा में कोर्ट भवन का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा दानापुर में अतिरिक्त 5 कोर्ट भवन एवं मुंगेर में परिवार न्यायालय भवन का निर्माण किया जाना है।
42	3-4059800510221	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	9,300.00	0.00	9,300.00	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना है।
	3-4059800510321	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	0.00	5,586.00	5,586.00	
43	3-4059800510320	राज्य स्कीम	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	0.00	7,333.00	7,333.00	व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ, मुंगेर, नालंदा (बिहारशरीफ), लखीसराय, दानापुर, मसौढ़ी, हिलसा, मंझौल, अरवल छपरा में कोर्ट भवन का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा दानापुर में अतिरिक्त 5 कोर्ट भवन का निर्माण एवम् मुंगेर में परिवार न्यायालय भवन का निर्माण किया जाना है।
44	3-4059802010103	राज्य स्कीम	इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी ।	0.00	100.00	100.00	नालन्दा विश्वविद्यालय में आई.टी. सिटी का निर्माण किया जाना है।
45	3-4202021040108	राज्य स्कीम	पोलिटैक्नीक भवन (निश्चय)	0.00	20,000.00	20,000.00	राज्य के सभी जिलों में नया पोलिटैक्निक के भवनों का निर्माण किया जाना है।
46	3-4202021050105	राज्य स्कीम	अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय)	0.00	45,500.00	45,500.00	राज्य के सभी जिलों में नया अभियंत्रण महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण किया जाना है।
47	3-4210011100116	राज्य स्कीम	शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण	0.00	200.00	200.00	राज्य के सदर, अनुमंडलों में स्थित अस्पतालों के विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार किया जाना है।
48	3-4210021100102	राज्य स्कीम	ग्रामीण अस्पतालों के भवनों का निर्माण	0.00	100.00	100.00	राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य उपकेन्द्र के विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	3-4210031050115	राज्य स्कीम	मेडिकल कॉलेज अस्पताल	0.00	100.00	100.00	राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों का जीर्णोद्धार किया जाना है।
50	3-4210031050116	राज्य स्कीम	मेडिकल कॉलेज	0.00	100.00	100.00	भवन निर्माण विभाग द्वारा राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार किया जाना है।
51	3-4216017000101	राज्य स्कीम	अन्य आवास	0.00	10,000.00	10,000.00	माननीय विधान पार्षद के लिए आवास निर्माण कार्य प्रगति में है तथा माननीय विधान सभा सदस्यों के आवास निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 में किया जाना है।
52	3-4216017000102	राज्य स्कीम	न्यायिक आवासीय भवनें	0.00	100.00	100.00	पटना के वर्ष 2017-18 में माननीय न्यायाधीशों के आवास का निर्माण किया जाना है।
53	3-4216017000206	राज्य स्कीम	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	4,000.00	0.00	4,000.00	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद एवं प्रधान न्यायाधीश, मुंगेर के आवासीय भवन का निर्माण तथा व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, मंझौल, सिवान, अरवल, बेतिया, हिलसा, नवगछिया, भागलपुर बेनीपटी में पी०ओ० आवास का निर्माण एवं अरवल में 'ए', 'बी' एवं 'सी' टाइप आवास निर्माण किया जाना है।
54	3-4216017000306	राज्य स्कीम	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	0.00	2,667.00	2,667.00	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद एवं प्रधान न्यायाधीश, मुंगेर के आवासीय भवन का निर्माण तथा व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, मंझौल, सिवान, अरवल, बेतिया, हिलसा, नवगछिया, भागलपुर बेनीपटी में पी०ओ० आवास का निर्माण एवं अरवल में 'ए', 'बी' एवं 'सी' टाइप आवास निर्माण किया जाना है।
55	3-4216800510103	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आवास	0.00	1,300.00	1,300.00	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आवास भवन का निर्माण किया जाना है।
56	3-4225800510103	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	0.00	7,700.00	7,700.00	अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के छात्रावास का निर्माण किया जाना है।
57	3-4225800510104	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	0.00	4,200.00	4,200.00	मौलाना मजहूरुल हक, अब्दुल क्यूम अंसारी एवं गुलाम सरवर के नाम पर निर्मित स्मारक एवं ऑडोटेोरियम के अतिरिक्त कार्य एवं सुसज्जन कार्य किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

भवन निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	3-4235020510104	राज्य स्कीम	समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों का निर्माण	0.00	10.00	10.00	पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह का निर्माण किया जाना है ।
59	3-4408021010102	राज्य स्कीम	खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित)	0.00	7,466.00	7,466.00	गोदाम निर्माण किया जाना है ।
योग				26,225.00	3,05,152.72	3,31,377.72	

**परिणाम बजट
2017-2018**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4-2052000900101	राज्य स्कीम	राजभाषा	0.00	162.00	162.00	विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त राजकीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रभाषा हिन्दी को राज्य की जनता के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु विभागीय त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा' हिन्दी में प्रकाशित किया जाना है, हिन्दी पुरस्कार योजना, हिन्दी पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना तथा विशेष अंगीभूत योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।
2	4-2052000900147	राज्य स्कीम	सचिवालय ग्रन्थागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का	0.00	60.00	60.00	सचिवालय ग्रन्थागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय तथा संरक्षण किया जाना है।
3	4-2052000920103	राज्य स्कीम	20सूत्री कार्यक्रम कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्यस्तरीय	0.00	100.00	100.00	उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते तथा आकस्मिक व्यय स्थापना मद में भुगतान किया जाना है।
4	4-2052000920123	राज्य स्कीम	उर्दू निदेशालय	0.00	162.00	162.00	विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त राजकीय साहित्य का उर्दू अनुवाद किया जाना है, साथ ही उर्दू को राज्य की जनता के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु विभाग के अंतर्गत उर्दू निदेशालय द्वारा पुरस्कार योजना तथा पाण्डुलिपि प्रकाशन योजना का कार्य किया जाना है।
5	4-2053000930106	राज्य स्कीम	20 सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन	0.00	200.00	200.00	20-सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के मानदेय/कार्यालय व्यय/वाहन आदि में व्यय किया जाना है।
6	4-2070000010107	राज्य स्कीम	बिहार विकास मिशन	0.00	20,000.00	20,000.00	सरकार के सात निश्चयों, कार्यक्रम एवं संकल्पों के मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श सभी विभागों से लेकर प्रशासन के निम्नस्तर तक सुनिश्चित किया जाना है।
7	4-2205001040102	राज्य स्कीम	अभिलेखागार के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण	0.00	87.00	87.00	द इंडियन एंथ्रोसियेशन फॉर द स्टडी ऑफ कंजरवेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन, अभिलेखों का डिजिटাইजेशन एवं लेमिनेशन, महात्मा गांधी के चम्पारण यात्रा के शताब्दीवर्ष पर सेमिनार/संगोष्ठी का आयोजन, बिहार का गौरव शृंखला के लिए अभिलेख, पुस्तकों का प्रकाशन, पाण्डुलिपियों का संग्रहण, अभिलेखों के प्रबंधन एवं परिरक्षण पर व्यय किया जाना है।
	4-2205001040103	राज्य स्कीम	बिहार का गौरव शृंखला के प्रकाशनार्थ	0.00	55.00	55.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	4-5053021020101	राज्य स्कीम	हवाई अड्डे	0.00	1,654.14	1,654.14	पटना हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु 11.37 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना को बदलैन के आधार पर हस्तांतरण किया जाना है। बिहटा एवं पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा से विमानों के संयुक्त परिचालन एवं सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भू-अर्जन कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा जाना है। राज्य अन्तर्गत विभिन्न हवाई अड्डों के चहारदिवारी का निर्माण एवं मरम्मत किया जाना है।
योग				0.00	22,480.14	22,480.14	

**परिणाम बजट
2017-2018**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8-2204000010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	युवक कल्याण निदेशालय	0.00	69.34	69.34	भारत स्काउट एण्ड गाईड को स्थापना हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
2	8-2204001020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन	0.00	926.86	926.86	एन.सी.सी. कैडेटों का विभिन्न शिविर के आयोजन संबंधी कार्य किया जाना है।
3	8-2204001040001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खेलकूद	0.00	885.89	885.89	विद्यालय खेल प्रतियोगिता, महिला खेल प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय स्तर के सहभागिता एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को स्थापना व्यय हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है ।
4	8-2205001010002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार संगीत नाटक अकादमी-स० अ०	0.00	40.00	40.00	बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना को स्थापना व्यय हेतु अनुदान दिया जाना है।
5	8-2205001010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार ललित कला अकादमी	0.00	50.00	50.00	बिहार ललित कला अकादमी, पटना को स्थापना व्यय हेतु अनुदान दिया जाना है।
6	8-2205001010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भारतीय नृत्य कला मंदिर-स० अ०	0.00	30.00	30.00	भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को स्थापना हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
7	8-2205001020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कला और संस्कृति का संवर्धन	0.00	519.21	519.21	मिथिला चित्र कला संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर के संचालन एवं रख-रखाव के साथ ही राज्य के स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थानों को सहायक अनुदान दिया जाना है ।
8	8-2205001030001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पुरातत्व निदेशालय	0.00	558.40	558.40	बिहार पुराविद परिषद्, पटना एवं बिहार विरासत विकास समिति के स्थापना पर व्यय किया जाना है।
9	8-2205001070001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संग्रहालय	0.00	2,184.61	2,184.61	बिहार संग्रहालय, पटना, गाँधी संग्रहालय, पटना, राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना एवं गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, पटना के स्थापना पर व्यय किया जाना है ।
10	8-2205001900001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.00	25.00	25.00	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि०, पटना को फिल्म के विकास हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	8-2204001040102	राज्य स्कीम	खेलकूद	0.00	2,280.00	2,280.00	30-35 खेलकूद कार्यक्रमों का अयोजन/सहभागिता, 20 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से खेलकूद का प्रशिक्षण, लगभग 325 खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को सम्मान/पुरस्कार, लगभग 150 खिलाड़ियों के कल्याणार्थ सहायता, खेल उपकरण, खिलाड़ियों का कल्याण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है।
12	8-2205001020101	राज्य स्कीम	कला और संस्कृति का संवर्धन	0.00	1,160.00	1,160.00	सांस्कृतिक वातावरण निर्माण के लिए राज्य के 38 जिलों में जिला स्थापना दिवस, बिहार दिवस एवं युवा उत्सव का आयोजन। हरिहर क्षेत्र महोत्सव, विद्यापति महोत्सव, दशरथ मांझी महोत्सव, वीर कुंवर सिंह महोत्सव, विश्वामित्र महोत्सव एवं अन्य महोत्सवों का आयोजन। शुक्रगुलजार, शनिबहार, संगीत बिहान, संगीत संध्या एवं कला मंगल प्रदर्शनी का आयोजन। उग्रवाद प्रभावित जिलों में आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार से सम्मान तथा कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता। डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रकाशन के तहत पटना कलम पत्रिका एवं अन्य कला एवं संस्कृति से संबंधित पुस्तकों का मुद्रण किया जाना है।
13	8-2205001030101	राज्य स्कीम	पुरातत्व निदेशालय	0.00	635.00	635.00	02 पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन, 10 पुरातात्विक स्थलों का अनवेषण एवं सर्वेक्षण, 06 पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों का संरक्षण, संवर्धन, सौन्दर्यीकरण एवं विकास, 39 पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों की सुरक्षा एवं पुरातत्व विषयक 03 पुस्तक का प्रकाशन किया जाना है।
14	8-2205001070101	राज्य स्कीम	संग्रहालय	0.00	1,470.00	1,470.00	पटना संग्रहालय सहित राज्य के कुल 23 राजकीय संग्रहालयों की सुरक्षा, संरक्षण, अनुरक्षण एवं सर्वांगीण विकास, संग्रहालयों का पुनर्संयोजन के साथ ही गैर सरकारी संग्रहालयों के विकासार्थ सहायक अनुदान दिया जाना है।
15	8-2205001900101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.00	250.00	250.00	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि० के माध्यम से फिल्म निर्माण कार्य का कार्यान्वयन किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग				0.00	11,084.31	11,084.31	

**परिणाम बजट
2017-2018**

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9-2401001100101	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत	0.00	1.00	1.00	बीमा के इच्छुक सभी कृषकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। वर्ष 2017-18 में 35.00 लाख किसानों के फसलों का बीमा का लक्ष्य है।
	9-2401001100104	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अ	0.00	1.00	1.00	
	9-2401001100107	राज्य स्कीम	पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल	0.00	1.00	1.00	
	9-2401001100110	राज्य स्कीम	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.00	1.00	1.00	
	9-2401001100311	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान	0.00	24,556.07	24,556.07	
	9-2401007890342	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान	0.00	7,947.23	7,947.23	
	9-2401007960364	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम अनुदान	0.00	496.70	496.70	
2	9-2408021900101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	0.00	1.00	1.00	बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा गोदामों के निर्माण पर व्यय किया जाना है ।
3	9-2425000010107	राज्य स्कीम	सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार	0.00	5.00	5.00	सहकारिता विभाग के कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाना है ।
4	9-2425000030102	राज्य स्कीम	विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्ष	0.00	5.00	5.00	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान में पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
5	9-2425000030103	राज्य स्कीम	सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मत ए	0.00	1.00	1.00	प्रशिक्षण संस्थान, पूसा के भवन मरम्मत का कार्य किया जाना है।
6	9-2425001050101	राज्य स्कीम	सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय	0.00	50.00	50.00	सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार पर व्यय किया जाना है।
7	9-2425001080107	राज्य स्कीम	समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकार	0.00	432.66	432.66	जहानाबाद, अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगुसराय, दरभंगा, बेतिया एवं पूर्णियाँ जिलों में परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है ।
	9-2425001080415	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	7,328.63	0.00	7,328.63	
	9-4425001080465	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	6,971.00	0.00	6,971.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	9-2425001080114	राज्य स्कीम	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	0.00	4,122.20	4,122.20	838 गोदाम निर्माण किया जाना है।
9	9-2425001080116	राज्य स्कीम	सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	0.00	500.00	500.00	सब्जी आधारित सहकारी समितियों को बढ़ावा हेतु प्रोत्साहित किया जाना है।
10	9-4425000510104	राज्य स्कीम	सहकार भवन	0.00	2,434.00	2,434.00	12 जिलों में एकीकृत सहकारी भवन का निर्माण किया जाना है।
11	9-6425001070101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख् स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण	0.00	9,115.33	9,115.33	कृषकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान उपलब्ध कराया जाना है।
योग				14,299.63	49,670.19	63,969.82	

**परिणाम बजट
2017-2018**

उर्जा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10-2801051900106	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना	0.00	75,000.00	75,000.00	मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना के तहत हर घर विद्युत संबंध उपलब्ध कराया जाना है।
2	10-2810606000101	राज्य स्कीम	अपरम्परागत उर्जा स्रोत	0.00	24,990.00	24,990.00	मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत किसानों की सिंचाई हेतु सोलर वाटर पम्प, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों में एक इंच एवं दो इंच के रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापन एवं राज्य के सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों के भवनों पर 80 मेगावाट के रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन किया जाना है।
3	10-4801021900102	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	52,454.40	52,454.40	बी०टी०पी०एस० विस्तार परियोजना, नवीनगर में ताप विद्युत गृह निर्माण एवं गंगा रिभर परियोजना का कार्य किया जाना है, इससे राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी।
	10-4801027960101	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	6,795.60	6,795.60	
4	10-4801051900105	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	21,000.00	21,000.00	बिहटा, मानसी में जी०एस०एस० का निर्माण, राजगीर एवं गायघाट जी०एस०एस० का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा 14 राजस्व अवर प्रमंडलों एवं शेष बचे 17 अवर प्रमंडलों में भी जी०एस०एस० बनाने का लक्ष्य रखा गया है, पुराने जी०एस०एस० में विभिन्न सिविल कार्य पूर्ण किया जाना है, इससे संचरण प्रणाली सुदृढ़ होगी।
5	10-4801051900106	राज्य स्कीम	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	44,635.24	44,635.24	वितरण ट्रांसफार्मर के क्षमता में वृद्धि तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन, उदय योजना के अंतर्गत उपभोक्ता की मीटर उपलब्ध कराना, डी०डी०जी० योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण, छतियाना, मकदुमपुर एवं देवहलीया में शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना है ।
6	10-4801051900107	राज्य स्कीम	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	44,635.24	44,635.24	वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, मधेपुरा एवं सुपौल में चार शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण, डिविजनल ऑफिस/नियंत्रण कक्ष एवं चाहरदीवारी का निर्माण, डी० डी० जी० (ऑफ ग्रिड) योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण करने का कार्य किया जाना है।
	10-4801057890103	राज्य स्कीम	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	39,364.76	39,364.76	

**परिणाम बजट
2017-2018**

उर्जा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	10-4801051900111	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०	0.00	10,010.53	10,010.53	बी०एस०पी०एच०सी०एल० एवं उसके अनुषंगी कम्पनियों के नये एवं पुराने योजनाओं को पूर्ण कर विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाना है।
8	10-4801051900208	राज्य स्कीम	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०)(राज्य घटक)-(बी०एस०पी०टी०सी०एल० के लिए)	10,000.00	0.00	10,000.00	उप संचरण प्रणाली फेज-2 (विस्तार) हेतु नये संचरण लाइन का निर्माण, पुराने तारों का बदलना, शक्ति परिणामित्र का क्षमता विस्तार एवं संचरण प्रणाली फेज-3 अंतर्गत किशनगंज में 220/132/33 केवी जीएसएस का निर्माण एवं इससे संबंधित संचरण लाइन का निर्माण, नं०-1 कम्पलाईस आदि से संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना है।
9	10-4801051900209	राज्य स्कीम	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०)(राज्य घटक)-(एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	1,25,000.00	0.00	1,25,000.00	नये शक्ति उपकेन्द्रों का निर्माण, नये 11 केवी एवं 33 केवी लाईनों का निर्माण एवं पुराने शक्ति उपकेन्द्रों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ क्षमता विस्तार किया जाना है। साथ ही पुराने एवं 11 के०वी० लाईन एवं एल०टी० लाईन को एरियल बन्चड केबल से बदला जाना है। इससे वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं ए.टी. एण्ड लॉस में कमी होगी।
	10-4801051900210	राज्य स्कीम	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०)(राज्य घटक)-(एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	1,25,000.00	0.00	1,25,000.00	
10	10-4801057890101	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	30,000.00	30,000.00	बिहटा, मानसी में जी०एस०एस० का निर्माण, राजगीर एवं गायघाट जी०एस०एस० का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा 14 राजस्व अवर प्रमंडलों एवं शेष बचे 17 अवर प्रमंडलों में भी जी०एस०एस० बनाया जाना है, पुराने जी०एस०एस० में विभिन्न सिविल कार्य पूर्ण किया जाना है, इससे संचरण प्रणाली सुदृढ़ होगी।
11	10-4801057890102	राज्य स्कीम	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना	0.00	39,364.76	39,364.76	वितरण ट्रांसफार्मर के क्षमता में वृद्धि तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन, उदय योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को मीटर उपलब्ध कराना तथा डी०डी०जी० (ऑफ ग्रिड) योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण, छतियाना, मकदुमपुर एवं देवहलीया में शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना है।

परिणाम बजट
2017-2018

उर्जा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	10-6801001900508	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० की संचरण तथा वितरण परियोजना (वाह्य सम्पत्ति योजना)	0.00	23,529.00	23,529.00	राज्य के 7 शहरों के वितरण व्यवस्था का सुदृढीकरण एवं चार जिलों में संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना है।
13	10-6801002010101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	0.00	1,000.00	1,000.00	आर०आई०डी०एफ०-8 के तहत स्वीकृत 7 निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कराना, बाल्मिकीनगर परियोजना में स्केप चैनल का निर्माण कराना एवं महानंदा, बुढ़ी गंडक एवं बागमती नदियों पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण हेतु डीपीआर/पीएफआर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
14	10-6801002010105	राज्य स्कीम	बिहार राज्य जल विद्युत	0.00	6,780.00	6,780.00	अरारघाट, चारमिनार (धोबा, कटैया, मथौली, बरबल), डेहरा एवं सिपहा लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।
योग				2,60,000.00	4,19,559.53	6,79,559.53	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-2225031970101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	9,450.00	9,450.00	787500 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
2	11-2225031980101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	18,050.00	18,050.00	1504166 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
3	11-2225032770101	राज्य स्कीम	शिक्षा	0.00	1,09,794.14	1,09,794.14	1440844 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है।
4	11-2225032770212	राज्य स्कीम	अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	160.00	0.00	160.00	अनाधिसूचित, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जातियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसे कर्णाकित राशि से प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
	11-2225032770312	राज्य स्कीम	अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	53.33	53.33	
5	11-2225032770214	राज्य स्कीम	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	1,250.00	0.00	1,250.00	104166 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
6	11-2225032770215	राज्य स्कीम	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	7,792.65	0.00	7,792.65	56000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
7	11-2225032770314	राज्य स्कीम	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	1,100.00	1,100.00	1,00,000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
8	11-4225032770101	राज्य स्कीम	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों	0.00	3,958.52	3,958.52	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण कार्य एवं संचालन में व्यय किया जाना है।आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार पर खर्च किया जाना है।
9	11-4225032770202	राज्य स्कीम	अर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों केविकास हेतु स्कीम (ओ०बी०सी० छात्रावास निर्माण हेतु)	450.00	0.00	450.00	एक बालक एवं एक बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाना है ।
	11-4225032770302	राज्य स्कीम	अर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों केविकास हेतु स्कीम (ओ०बी०सी० छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	150.00	150.00	
योग				9,652.65	1,42,555.99	1,52,208.64	

**परिणाम बजट
2017-2018**

वित्त विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12-2054000950102	राज्य स्कीम	भविष्य निधि लेखा का संधारण	0.00	50.00	50.00	भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर व्यय किया जाना है ।
2	12-2054000950103	राज्य स्कीम	बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट	0.00	6,000.00	6,000.00	मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत वित्तीय कार्यकलापों से संबंधित सॉफ्टवेयर उन्नयन का कार्य एवं बजट, लेखा, पेंशन, प्राप्ति, निधि प्रबंधन, एच०आर०एम० एस०, ई-अंकेक्षण आदि मॉड्यूल तैयार किया जाना है ।
3	12-4058001030101	राज्य स्कीम	मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस	0.00	100.00	100.00	गुलजारबाग प्रेस का आधुनिकीकरण कार्य किया जाना है ।
4	12-4058001030102	राज्य स्कीम	सरकारी प्रेस गया के आधुनिकीकरण की योजना	0.00	50.00	50.00	सरकारी प्रेस गया का आधुनिकीकरण किया जाना है ।
योग				0.00	6,200.00	6,200.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पंचायती राज विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16-2515001960007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के	0.00	50,942.00	50,942.00	पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के पंचायत राज संस्थाओं को सहायक अनुदान दिया जाना है ।
	16-2515001970004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक प	0.00	19,610.00	19,610.00	
	16-2515001980009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक	0.00	1,37,279.00	1,37,279.00	
	16-2515001980014	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरी को अंशदान	0.00	8,400.00	8,400.00	
2	16-2515001980001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पंचायत राज संस्थाओं को सहायता	0.00	4,09,680.00	4,09,680.00	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बुनियादी अनुदान एवं कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध कराया जाना है ।
3	16-2515000010101	राज्य स्कीम	मुख्यालय पंचायत स्थापना	0.00	201.00	201.00	पंचायत प्रतिनिधियों के प्राकृतिक आपदा/घटना/दुर्घटना के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया जाना है ।
4	16-2515000010102	राज्य स्कीम	जिला पंचायत की स्थापना	0.00	1,000.00	1,000.00	संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्त/नियुक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान किया जाना है।
5	16-2515000030304	राज्य स्कीम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	0.00	488.00	488.00	पंचायत स्तर तक कर्मियों की नियुक्ति, ब्लॉक स्तर तक संसाधन केन्द्र की स्थापना, प्रशिक्षण आदि कार्य किया जाना है ।
	16-2515001960308	राज्य स्कीम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0.00	1.00	1.00	
	16-2515001970305	राज्य स्कीम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0.00	1.00	1.00	
	16-2515001980312	राज्य स्कीम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	0.00	6,000.00	6,000.00	
	16-4515001010306	राज्य स्कीम	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	0.00	1.00	1.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पंचायती राज विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	16-2515001010514	राज्य स्कीम	पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (वाह्य सम्पोजित योजना)	0.00	2,603.00	2,603.00	राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का ग्राम पंचायतों से लेकर राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन, सशक्तीकरण, शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण किया जाना है।
	16-2515007890513	राज्य स्कीम	पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (वाह्य सम्पोजित योजना)	0.00	3,826.00	3,826.00	
7	16-2515001960106	राज्य स्कीम	जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	0.00	464.64	464.64	राज्य के जिला परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता एवं अन्य भुगतान किया जाना है।
	16-2515007890106	राज्य स्कीम	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	95.36	95.36	
8	16-2515001970103	राज्य स्कीम	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	0.00	2,400.00	2,400.00	राज्य के पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता एवं अन्य भुगतान किया जाना है।
	16-2515007890105	राज्य स्कीम	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	492.00	492.00	
9	16-2515001980105	राज्य स्कीम	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का	0.00	11,017.00	11,017.00	राज्य के ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता एवं अन्य भुगतान किया जाना है।
	16-2515007890103	राज्य स्कीम	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	2,257.00	2,257.00	
10	16-2515001980106	राज्य स्कीम	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	11,017.00	11,017.00	राज्य के ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता एवं अन्य भुगतान किया जाना है।
	16-2515007890104	राज्य स्कीम	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	2,257.00	2,257.00	
11	16-2515001980113	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	0.00	1,27,410.77	1,27,410.77	सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना का क्रियान्वयन किया जाना है ।
	16-2515007890112	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	0.00	32,500.00	32,500.00	
	16-2515007960119	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री निश्चय योजना	0.00	2,589.21	2,589.21	
12	16-2515008000112	राज्य स्कीम	ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	0.00	1,000.00	1,000.00	ग्राम कचहरी को किराया, सहायता एवं प्रोत्साहन राशि दिया जाना है ।
	16-2515008000114	राज्य स्कीम	ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु	0.00	6,000.00	6,000.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पंचायती राज विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग				0.00	8,39,531.98	8,39,531.98	

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	18-3456001020105	राज्य स्कीम	लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	0.00	24,174.58	24,174.58	लक्षित जन वितरण प्रणाली का इन्ड टू इन्ड कम्प्यूटराइजेशन किया जाना है ।
2	18-3456001020306	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	1,01,067.16	1,01,067.16	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत एफ०सी०आई से एस०एफ०सी० तथा एस०एफ०सी० से पी०डी०एस० दुकानों तक खाद्यान्नों का हथालन, परिवहन, मार्जिन मनी, डीलर कमीशन, स्थापना एवं अन्य मद में व्यय किया जाना है ।
	18-3456007890302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	25,946.14	25,946.14	
	18-3456007960302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	1,621.63	1,621.63	
3	18-3456001910101	राज्य स्कीम	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित	0.00	150.00	150.00	नगर निगम के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता दिया जाना है ।
4	18-3456001920101	राज्य स्कीम	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति	0.00	255.00	255.00	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता दिया जाना है ।
5	18-3456001930101	राज्य स्कीम	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित	0.00	450.00	450.00	नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्रों के समितियों या उनके समतुल्य को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता दिया जाना है ।
6	18-3456001980101	राज्य स्कीम	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति	0.00	750.00	750.00	ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता दिया जाना है ।
7	18-5475000510102	राज्य स्कीम	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण	0.00	282.82	282.82	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का आधुनिकीकरण किया जाना है।
योग				0.00	1,54,697.33	1,54,697.33	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पर्यावरण एवं वन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19-2406011010109	राज्य स्कीम	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	0.00	1,159.57	1,159.57	परम्परागत वनभूमि में प्रस्तावित निधि से 10172.65 हेक्टेयर वनरोपण का सम्पोषण, 2000 हेक्टेयर में वनरोपण का सृजन, 850 हेक्टेयर में मृदा एवं जल संरक्षण एवं छात्र वृक्षरोपण योजना का कार्य किया जाना है।
	19-2406017890101	राज्य स्कीम	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	0.00	555.42	555.42	
	19-2406017960103	राज्य स्कीम	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	0.00	178.46	178.46	
2	19-2406017890102	राज्य स्कीम	नहर तट फार्म	0.00	900.00	900.00	राज्य के नहर /नदी तट बंधों पर उपलब्ध सरकारी भूमि में 200 कि.मी. में वनरोपण का सृजन, 1543 कि.मी. पौधों का सम्पोषण तथा उद्यान पौधशाला का कार्य किया जाना है।
	19-2406018000101	राज्य स्कीम	नहर तट फार्म	0.00	2,280.00	2,280.00	
3	19-2406017890103	राज्य स्कीम	पथ तट फार्म	0.00	1,400.00	1,400.00	राज्य के पथ तटों पर उपलब्ध भूमि में 1591.5 कि.मी. वनरोपणों का सम्पोषण, 240 कि.मी. में पौधारोपण का सृजन तथा कृषि वानिकी एवं मुख्यमंत्री निजी पौधशालाओं सहित राज्य के प्रमुख उद्यानों का रख-रखाव कार्य किया जाना है।
	19-2406018000105	राज्य स्कीम	पथ तट फार्म	0.00	3,625.00	3,625.00	
4	19-2406021100121	राज्य स्कीम	वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	0.00	51.00	51.00	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना एवं राज्य के वन्य प्राणियों के अधिवास का संरक्षण एवं विकास कार्य किया जाना है।
5	19-2406021100223	राज्य स्कीम	एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	1,564.58	0.00	1,564.58	राजगीर जू-सफारी सहित अन्य वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण का कार्य किया जाना है।
	19-2406021100323	राज्य स्कीम	एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	0.00	1,043.05	1,043.05	
6	19-2406021100224	राज्य स्कीम	बाघ परियोजना	1,490.93	0.00	1,490.93	राज्य के एक मात्र बाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य में बाघों के संरक्षण एवं उनके अधिवास के संवर्धन का कार्य किया जाना है।
	19-2406021100324	राज्य स्कीम	बाघ परियोजना	0.00	993.95	993.95	
7	19-2406041010201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	1,208.64	0.00	1,208.64	राज्य के अधिसूचित वनों में जन सहयोग के माध्यम से उनके पुनर्वास का कार्य किया जाना है।
	19-2406041010301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	805.76	805.76	
8	19-2406041010202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण	233.80	0.00	233.80	वनों की सुरक्षा हेतु ढ़ाँचागत सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है।
	19-2406041010302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण	0.00	155.87	155.87	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पर्यावरण एवं वन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	19-4406010700101	राज्य स्कीम	सड़क और पुल	0.00	50.00	50.00	राज्य के वनपथों का निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य किया जाना है ।
10	19-4406010700102	राज्य स्कीम	भवन	0.00	150.00	150.00	आवश्यक नये भवनों का निर्माण किया जाना है एवं राजगीर वन विश्रामागार का निर्माण कार्य किया जाना है।
योग				4,497.95	13,348.08	17,846.03	

**परिणाम बजट
2017-2018**

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20-2210012000111	राज्य स्कीम	एम्बुलेंस परिचालन	0.00	200.00	200.00	राज्य में विभिन्न श्रेणी के एम्बुलेंस का परिचालन किया जाना है ।
2	20-2210012000112	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी)	0.00	40.00	40.00	राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रक कार्यक्रम निमित्त वेतन एवं प्रचार-प्रसार पर व्यय किया जाना है ।
	20-2210032000101	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण)	0.00	160.00	160.00	
3	20-2210012000209	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	37,444.94	0.00	37,444.94	एनआरएचएम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के सुगम संचालन पर व्यय किया जाना है तथा आशा, नियुक्ति, आशा प्रशिक्षण, सामान्य प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना अनटाईटल्ड फंड- दवा, उपकरण, प्लस पोलिया, प्रतिरक्षण एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया जाना है।
	20-2210012000309	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	24,963.30	24,963.30	
	20-2210017890201	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	13,698.88	0.00	13,698.88	
	20-2210017890301	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	9,132.58	9,132.58	
	20-2210017960219	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	856.18	0.00	856.18	
	20-2210017960319	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	570.79	570.79	
	20-2210031100203	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	56,167.41	0.00	56,167.41	
	20-2210031100303	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	37,444.94	37,444.94	
	20-2210037890201	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	20,548.32	0.00	20,548.32	
	20-2210037890301	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	13,698.88	13,698.88	
	20-2210037960202	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1,284.27	0.00	1,284.27	
	20-2210037960302	राज्य स्कीम	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.00	856.18	856.18	

**परिणाम बजट
2017-2018**

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	20-2210022000202	राज्य स्कीम	औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	1,347.10	0.00	1,347.10	कान्फ्रेंस, कार्यशाला, मशीनें एवं उपस्कर, व्यवसायिक सेवायें, सामग्री एवं दवा भंडार सहायक अनुदान-वेतनादि पर व्यय किया जाना है।
	20-2210022000302	राज्य स्कीम	औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	0.00	799.97	799.97	
	20-2210042000203	राज्य स्कीम	औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	1,097.86	0.00	1,097.86	
	20-2210042000303	राज्य स्कीम	औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	0.00	830.00	830.00	
5	20-2210052000101	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,	0.00	101.00	101.00	संस्थान के परिसंपत्तियों का निर्माण एवं अन्य कार्य किया जाना है।
6	20-2211000010204	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	1,000.00	0.00	1,000.00	स्वा० एवं परिवार कल्याण से संबंधित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि मद में भुगतान किया जाना है।
	20-2211000010304	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	2,000.00	2,000.00	
	20-2211000030206	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	951.00	0.00	951.00	
	20-2211000030306	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	1,902.00	1,902.00	
	20-2211000040202	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	11.00	0.00	11.00	
	20-2211000040302	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	22.00	22.00	
	20-2211001010205	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	2,500.00	0.00	2,500.00	
	20-2211001010305	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	5,333.33	5,333.33	
	20-2211001020202	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	538.00	0.00	538.00	
	20-2211001020302	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	1,076.00	1,076.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	20-2230031020102	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	0.00	100.00	100.00	बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना है ।
8	20-2235601100204	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	22,600.00	0.00	22,600.00	असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को बीमा राशि का भुगतान किया जाना है ।
	20-2235601100304	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	0.00	15,066.67	15,066.67	
9	20-4210011100110	राज्य स्कीम	इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	0.00	100.00	100.00	संस्थान हेतु विभिन्न मशीन उपकरण का क्रय किया जाना है ।
10	20-4210011100113	राज्य स्कीम	जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार	0.00	100.00	100.00	सदर अस्पतालों एवं अनुमंडलीय अस्पतालों के भवनों का निर्माण किया जाना है ।
11	20-4210020510109	राज्य स्कीम	स्वास्थ्य उपकेन्द्र/ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण	0.00	300.00	300.00	राज्य अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण किया जाना है ।
12	20-4210021030101	राज्य स्कीम	रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	0.00	100.00	100.00	राज्य अन्तर्गत रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाना है ।
13	20-4210030500103	राज्य स्कीम	नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	0.00	42,000.00	42,000.00	सात निश्चय अन्तर्गत नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान के निर्माण किया जाना है ।
14	20-4210031050111	राज्य स्कीम	डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल	0.00	100.00	100.00	डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के विभिन्न भवनों का निर्माण किया जाना है ।
15	20-4210031050112	राज्य स्कीम	ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल	0.00	31,000.00	31,000.00	सात निश्चय अन्तर्गत ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० संस्थान के निर्माण में व्यय किया जाना है ।
16	20-4210031050119	राज्य स्कीम	बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	0.00	7,000.00	7,000.00	सात निश्चय अन्तर्गत बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज के निर्माण में व्यय किया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	20-4210037890101	राज्य स्कीम	मेडिकल कॉलेजों हेतु	0.00	1,199.00	1,199.00	राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज के निर्माण एवं उनके लिए मशीन उपकरण का क्रय किया जाना है ।
योग				1,60,044.96	1,96,196.64	3,56,241.60	

**परिणाम बजट
2017-2018**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21-2202011020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	0.00	3,168.00	3,168.00	प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
2	21-2202011910001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	0.00	3,000.00	3,000.00	प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत नियोजित नगर निगम शिक्षकों को 5200-20200 वेतनमान तथा अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है।
3	21-2202011920001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	0.00	3,500.00	3,500.00	प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत नियोजित नगर परिषद शिक्षकों को 5200-20200 वेतनमान तथा अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है।
4	21-2202011930001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	0.00	4,600.00	4,600.00	प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत नियोजित नगर पंचायत शिक्षकों को 5200-20200 वेतनमान तथा अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है।
5	21-2202011970002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान	0.00	1,25,300.00	1,25,300.00	प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत नियोजित प्रखंड शिक्षकों को 5200-20200 वेतनमान तथा अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है।
6	21-2202011980002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	0.00	1,300.00	1,300.00	प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत नियोजित पंचायत शिक्षकों को 5200-20200 वेतनमान तथा अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है।
7	21-2202021100002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सैनिक विद्यालय	0.00	200.00	200.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत सैनिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक एवं अन्य मदों में व्यय किया जाना है।
8	21-2202021100003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	माध्यमिक, बहुदेशीय अल्प संख्यक विद्यालय	0.00	5,400.00	5,400.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत अल्प संख्यक विद्यालयों को सहायता राशि सहायक अनुदान वेतन में बहुत सारे उद्देश्यों यथा अल्पसंख्यक छात्रों में छात्रवृत्ति प्रोत्साहन आदि दिया जाना है।
9	21-2202021100006	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सिमुलतला आवासीय विद्यालय	0.00	730.00	730.00	सिमुलतला आवासीय विद्यालय में मेधावी छात्रों के आवास एवं उनके अध्ययन के लिए राशि का व्यय किया जाना है।
10	21-2202021100007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	0.00	33,000.00	33,000.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों को सहायक अनुदान दिया जाना है।
11	21-2202021910001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	0.00	9,464.64	9,464.64	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत नियोजित नगर निगम शिक्षकों को 5200-20200 वेतनमान तथा अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है।

परिणाम बजट
2017-2018

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	21-2202021920001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	0.00	8,000.65	8,000.65	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत नियोजित नगर परिषद शिक्षको को 5200-20200 वेतनमान तथा अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है।
13	21-2202021930001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	0.00	7,113.91	7,113.91	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत नियोजित नगर पंचायत शिक्षको को 5200-20200 वेतनमान तथा अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है।
14	21-2202021960001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों	0.00	80,000.00	80,000.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत नियोजित जिला परिषद शिक्षको को 5200-20200 वेतनमान तथा अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है।
15	21-2202028000001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सैनिक विद्यालय तिलैया	0.00	15.00	15.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत सैनिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक एवं अन्य मदों में व्यय किया जाना है।
16	21-2202028000003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन	0.00	800.00	800.00	राज्य सरकार द्वारा सैनिक विद्यालय की स्थापना एवं संचालन हेतु व्यय किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	21-2202031020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पटना विश्वविद्यालय	0.00	20,068.00	20,068.00	विभिन्न विश्वविद्यालय के विकास एवं शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनादि एवं पेंशन भुगतान किया जाना है ।
	21-2202031020002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मगध विश्वविद्यालय	0.00	71,000.00	71,000.00	
	21-2202031020003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	0.00	40,600.00	40,600.00	
	21-2202031020004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	0.00	16,800.00	16,800.00	
	21-2202031020005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	0.00	20,700.00	20,700.00	
	21-2202031020008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	0.00	24,400.00	24,400.00	
	21-2202031020009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भागलपुर विश्वविद्यालय	0.00	39,600.00	39,600.00	
	21-2202031020011	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	0.00	42,600.00	42,600.00	
	21-2202031020012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	0.00	7,500.00	7,500.00	
	21-2202031020016	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मौलाना मजहरुल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	0.00	255.00	255.00	
	21-2202031040003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वित्त संपोषित महाविद्यालय	0.00	12,500.00	12,500.00	
18	21-2202031030003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	1,204.09	1,204.09	राजकीय महिला कॉलेज, गदर्नीबाग एवं गुलजारबाग के लिये स्थापना मद में राशि व्यय किया जाना है।
19	21-2202038000001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार कॉलेज सेवा आयोग	0.00	6.50	6.50	राज्य के महाविद्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों के नियत वेतन भुगतान हेतु राशि व्यय किया जाना है।
20	21-2202038000003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ग्रामीण महाविद्यालय (बिरोली) सोसाइटी	0.00	140.00	140.00	ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय की स्थापना हेतु राशि व्यय किया जाना है।
21	21-2202038000004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	विश्वविद्यालय सेवा आयोग	0.00	9.00	9.00	विश्वविद्यालय सेवा आयोग हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	21-2202051030003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय	0.00	15,000.00	15,000.00	गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों के नियत वेतन भुगतान हेतु राशि खर्च की जानी है।
23	21-2202052000002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर सरकारी मदरसा	0.00	25,000.00	25,000.00	गैर सरकारी मदरसा में कार्यरत कर्मियों को वेतन भुगतान किया जाना है।
24	21-2202052000004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड	0.00	25.00	25.00	बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों का नियत वेतन भुगतान किया जाना है।
25	21-2202800040008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ए०एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	0.00	250.00	250.00	ए.एन.सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान को वेतन हेतु अनुदान दिया जाना है।
26	21-2202800040009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	हिन्दी ग्रंथ अकादमी	0.00	193.01	193.01	विभिन्न भाषा के विकास एवं उनके सांस्कृतिक विरासत हेतु विभिन्न अकादमियों को उनके कर्मियों के नियत वेतन भुगतान हेतु तथा भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुदान दिया जाना है।
	21-2202800040012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मैथिली अकादमी	0.00	43.50	43.50	
	21-2202800040015	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मगही अकादमी	0.00	71.25	71.25	
	21-2202800040016	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बंगला अकादमी	0.00	31.25	31.25	
	21-2202800040017	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संस्कृत अकादमी	0.00	70.93	70.93	
	21-2202800040019	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भोजपुरी अकादमी	0.00	110.00	110.00	
27	21-2202808000010	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त	0.00	5.50	5.50	योग्य एवं कुशल अध्यापकों को पुरस्कृत करने हेतु व्यय किया जाना है।
	21-2202808000011	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक - शिक्षिकाओं को पुर	0.00	2.55	2.55	
28	21-2202010010105	राज्य स्कीम	शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक	0.00	500.00	500.00	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य सरकार समय-समय पर शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव पर व्यय किया जाना है।
29	21-2202010010106	राज्य स्कीम	जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	0.00	600.01	600.01	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला शिक्षक के नियोजन में शिकायत निवारण हेतु अपीलीय प्राधिकार पर व्यय का वहन किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	21-2202010010107	राज्य स्कीम	बिहार बाल भवन को अनुदान	0.00	400.00	400.00	बिहार बाल भवन को अनुदान दिया जाना है। इससे वैसे छात्र लाभान्वित होते हैं जो सरकारी छात्रावास में रहकर अध्ययन करते हैं।
31	21-2202011020102	राज्य स्कीम	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में	0.00	2,500.00	2,500.00	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को अनुदान दिया जाना है। इससे निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निर्धन तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के एवं अन्य कोटि के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त होगी।
32	21-2202011020103	राज्य स्कीम	प्राथमिक एवं मध्य निजी विद्यालयों को अनुदान	0.00	1.00	1.00	प्राथमिक एवं शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य निजी विद्यालयों को उनमें अध्ययनरत छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु अनुदान दिया जाना है।
33	21-2202011090101	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	0.00	8,000.00	8,000.00	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
34	21-2202011090102	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.00	10,000.00	10,000.00	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/-वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
35	21-2202011090103	राज्य स्कीम	मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	0.00	5,845.00	5,845.00	छात्र/छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं कन्या विद्यालय को प्रति वर्ष 20,000/- रु० शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक-सह-मानसिक विकास होता है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	21-2202011090105	राज्य स्कीम	प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	0.00	351.92	351.92	कक्षा 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु व्यय किया जाना है।
	21-2202021090105	राज्य स्कीम	आईसीटी परियोजना	0.00	1,000.00	1,000.00	
37	21-2202011110101	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओ)	0.00	200.00	200.00	नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वाले सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण, नियोजित शिक्षकों के वेतनमान भुगतान साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जानी है।
	21-2202011110201	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओ)	4,93,387.75	0.00	4,93,387.75	
	21-2202011110301	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओ)	0.00	1,45,782.11	1,45,782.11	
38	21-2202011120203	राज्य स्कीम	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	1,57,803.13	0.00	1,57,803.13	सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पोषणयुक्त आहार के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता की भावना विकसित होगी तथा उनमें स्वस्थ मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास होगा।
	21-2202011120303	राज्य स्कीम	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	0.00	85,445.00	85,445.00	
39	21-2202017890102	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	0.00	2,000.00	2,000.00	मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 2 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 400/- वार्षिक, कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 700/- वार्षिक उपलब्ध कराया जायेगा इससे अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सकेगा।
	21-2202017890306	राज्य स्कीम	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	0.00	19,757.09	19,757.09	

परिणाम बजट
2017-2018

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	21-2202017890203	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान	1,44,520.12	0.00	1,44,520.12	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वाले सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के फलस्वरूप उनका वेतन भी सर्व शिक्षा अभियान मद से कराया जाता है साथ ही इस अभियान द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।
	21-2202017890308	राज्य स्कीम	सर्वशिक्षा अभियान(एस०एस०एस०)	0.00	40,000.00	40,000.00	
41	21-2202017960309	राज्य स्कीम	सर्व शिक्षा अभियान	0.00	14,217.89	14,217.89	अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वाले सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के फलस्वरूप उनका वेतन भी सर्व शिक्षा अभियान मद से कराया जाता है साथ ही इस अभियान द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है।
42	21-2202020010101	राज्य स्कीम	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	0.00	2,500.04	2,500.04	वर्ग सप्तम से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं में मासिक स्त्राव में भी अपने आप को स्वावलम्बन एवं लज्जा रहित होने के लिए सैनेटरी नैपकिन क्रय हेतु 150 रु० वार्षिक की दर से राशि उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही नवमी से बारहववीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के परिभ्रमण हेतु राशि उपलब्ध कराती है।
43	21-2202021030101	राज्य स्कीम	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	0.00	600.00	600.00	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड को सहायक अनुदान दिया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	21-2202021070105	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	0.00	4,000.00	4,000.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम् में अध्ययनरत सामान्य कोटि के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुँच सके इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है।
45	21-2202021070106	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	0.00	4,000.00	4,000.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम् में अध्ययनरत सभी जाति के बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुँच सके इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है।
	21-2202027890102	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री बालिका साईकिल योजना	0.00	1,000.00	1,000.00	
46	21-2202021070107	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.00	3,000.00	3,000.00	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्राओं के पोशाक के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को 1000/- वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।
47	21-2202021070108	राज्य स्कीम	अन्य विद्यालय	0.00	4,500.00	4,500.00	मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को रु० 10,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख हो सके एवं अंतरस्नातक की पढ़ाई भी इस योजना द्वारा कर सके और इसके लिए वे परिवार पर आर्थिक रूप से ही निर्भर रहें।
48	21-2202021090207	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	78,495.00	0.00	78,495.00	नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सम्मिलित है तथा साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षक के मानदेय का भुगतान भी कराया जाता है ताकि बच्चे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकें।

**परिणाम बजट
2017-2018**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	21-2202021090307	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	0.00	26,700.00	26,700.00	नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।
50	21-2202027890101	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री बालक साईकिल योजना	0.00	1,000.00	1,000.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र 2,500/-राशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि दूर दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुँच सकें इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 13,860 बालकों को साईकिल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
51	21-2202027890104	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.00	500.00	500.00	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालिकाओं को नवमी वर्ग में अध्ययन हेतु पोशाक क्रय हेतु राशि दी जानी है।
52	21-2202031020115	राज्य स्कीम	राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	0.00	9,000.02	9,000.02	राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना है।
53	21-2202031020117	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	0.00	150.00	150.00	चाणक्य विधि महाविद्यालय, पटना को भवन निर्माण एवं स्थापना के लिये अनुदान दिया जाना है।
54	21-2202031020118	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	0.00	500.00	500.00	चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को स्थापना एवं आधारभूत संरचना/भवन निर्माण हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
55	21-2202031020323	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	5,333.33	5,333.33	उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आयोजित कर छात्रों को जीवकोपार्जन हेतु व्यावसायिक एवं अन्य श्रोतों से जोड़ने पर राशि का व्यय किया जाना है।
56	21-2202031070104	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	0.00	1,500.00	1,500.00	माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत +2 इंटर स्तरीय अध्ययनरत बालिकाओं को पोशाक मुहैया कराया जाना है।
57	21-2202031130101	राज्य स्कीम	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	0.00	5,500.00	5,500.00	मुख्यमंत्री के सात निश्चय अन्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक अभाव से निपटने के लिए राज्य सरकार उन प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु बेलट्रॉन या अन्य को राशि दिया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	21-2202042000203	राज्य स्कीम	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	2,000.00	0.00	2,000.00	18 वर्ष से उपर पुरुष एवं महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षुओं को बोद्धिक विकास में बढ़ोतरी हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
59	21-2202042000204	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - साक्षर भारत	8,910.00	0.00	8,910.00	18 वर्ष से उपर पुरुष एवं महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने पर राशि व्यय किया जाना है ।
	21-2202042000304	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - साक्षर भारत	0.00	5,940.00	5,940.00	
60	21-2202047890101	राज्य स्कीम	प्रौढ़ शिक्षा	0.00	16,208.99	16,208.99	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 20 वर्ष से उपर पुरुष एवं महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने पर राशि व्यय किया जाना है ।
61	21-2202800010102	राज्य स्कीम	राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	0.00	200.01	200.01	मुख्यालय पटना द्वारा प्रशिक्षण व्यय, सामग्री एवं पूर्तियों, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ में मशीन तथा उपस्कर तथा सहायक अनुदान मद में राज्य शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय को सहायक अनुदान दिया जाना है।
62	21-2202800040106	राज्य स्कीम	ए०एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	0.00	25.00	25.00	ए०एन० सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना को सहायक अनुदान दिया जाना है ।
63	21-2202800040108	राज्य स्कीम	ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमे	0.00	40.00	40.00	ललित नारायण मिश्र इंस्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेज के परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है ।
64	21-2202800040121	राज्य स्कीम	बिहार राज्य भाषा अकादमी	0.00	45.00	45.00	बिहार राष्ट्रभाषा अकाडमी को सहायक अनुदान दिया जाना है।
65	21-2204001040108	राज्य स्कीम	बिहार सबजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम	0.00	300.00	300.00	बिहार सब-जूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत बच्चों को खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेंटिंग, लेखन आदि प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान दिया जाना है।
66	21-4202012020103	राज्य स्कीम	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निम	0.00	8,000.00	8,000.00	राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण किया जाना है ।
67	21-4202012020109	राज्य स्कीम	राजकीय उच्च विद्यालय के भवन	0.00	10,700.00	10,700.00	राजकीय उच्च विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु राशि व्यय किया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	21-4202012020211	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	33,640.00	0.00	33,640.00	आदर्श विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु राशि व्यय किया जाना है ।
69	21-4202012030106	राज्य स्कीम	राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	100.00	100.00	राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु राशि व्यय की जानी है ।
70	21-4202012030207	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	8,000.00	0.00	8,000.00	महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु राशि व्यय किया जाना है ।
71	21-4202016000103	राज्य स्कीम	जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	0.00	100.00	100.00	जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना के निर्माण कार्य पर व्यय किया जाना है ।
72	21-4202017890101	राज्य स्कीम	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	0.00	2,500.00	2,500.00	महादलित एवं दलितों हेतु आदर्श विद्यालय भवन का निर्माण किया जाना है ।
योग				9,26,756.00	10,74,320.19	20,01,076.19	

**परिणाम बजट
2017-2018**

गृह विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22-2055001150102	राज्य स्कीम	पुलिस प्रशासन एवं ढांचागत सुदृढीकरण एवं उन्नयन हेतु	0.00	8,000.00	8,000.00	पुलिस प्रशासन के आधारभूत संरचना को सुदृढीकरण हेतु लघु कार्य यथा कम्प्यूटर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए छोटे उपकरण एवं ए0टी0एस0 के लिए स्वीकृत उपकरणों का क्रय किया जाना है।
2	22-2055001150203	राज्य स्कीम	पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	2,477.00	0.00	2,477.00	पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु आधारभूत संरचना, कम्प्यूटर, उपस्कर आदि का क्रय किया जाना है ।
	22-2055001150303	राज्य स्कीम	पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	0.00	95.96	95.96	
3	22-2056001010104	राज्य स्कीम	कारा प्रशासन का आधुनिकीकरण	0.00	300.00	300.00	काराओं में संसीमित बंदियों को अस्पताल लाने ले जाने हेतु एंबुलेंस एवं कारा पदाधिकारियों हेतु वाहन का क्रय किया जाना है ।
4	22-2070001080102	राज्य स्कीम	अग्निशामक उपकरणों का क्रय	0.00	3,500.00	3,500.00	राज्य के 867 थानों में एक-एक अद्द बड़ी अग्निशामक वाहन पाँच चरणों में दिया जाना है। प्रथम चरण हेतु 175 बड़ी अग्निशामक वाहनों का क्रय किया जाना है ।
5	22-4055000500101	राज्य स्कीम	थाना/चौकी के भू-अर्जन हेतु	0.00	1,000.00	1,000.00	राज्य के भवन विहीन थानों के भवन निर्माण हेतु भू-अर्जन के लिए तीन थाना भवनों के लिए भू-अर्जन किया जाना है ।
6	22-4055000510101	राज्य स्कीम	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	0.00	14,153.31	14,153.31	एक पुलिस लाइन, 400 सिपाही बैरक, 70 थाना/ओपी0 भवन एवं अन्य आवासीय भवनों का निर्माण किया जाना है ।
	22-4055007890101	राज्य स्कीम	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	0.00	53.00	53.00	
7	22-4070000510101	राज्य स्कीम	भवन निर्माण के लिए बिहार अग्निशाम सेवा	0.00	1,000.00	1,000.00	पूर्व में स्वीकृत 3 अग्निशामक भवनों का निर्माण किया जाना है एवं 3 नये अग्निशामक भवनों के निर्माण पर राशि व्यय किया जाना है ।
8	22-4070000510103	राज्य स्कीम	केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं क	0.00	3,000.00	3,000.00	राज्य के निर्माणाधीन मंडल काराओं पर राशि व्यय किया जाना है।
9	22-4070000510113	राज्य स्कीम	गृह रक्षा वाहिनी के लिए भवन निर्माण	0.00	1,000.00	1,000.00	गृह रक्षा वाहिनी के लिए कार्य एवं प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 3 स्थानों पर भवन निर्माण किया जाना है।
10	22-4070000520101	राज्य स्कीम	काराओं के संयंत्रों हेतु	0.00	1,200.00	1,200.00	राज्य के विभिन्न काराओं के लिए कम्प्यूटर, उपकरण आदि का क्रय किया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

गृह विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग				2,477.00	33,302.27	35,779.27	

**परिणाम बजट
2017-2018**

उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23-2851001020106	राज्य स्कीम	उद्योग मित्र	0.00	140.00	140.00	मेक इन इन्डिया इनिशियेटिव हेतु इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन सेल का संचालन/राज्य में उद्योग स्थापित, मार्गदर्शन एवं समस्या का निराकरण करना/विभाग की योजनाओं से संबंधित डाटा-बेस तैयार करना एवं विभागीय प्रमुख नीतियों/योजनाओं से संबंधित बोस, बुकलेट आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना/नवप्रवर्तन कोषांग के अन्तर्गत राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना एवं प्रोत्साहित करना/विभागीय कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के कौशल उन्नयन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन एवं विभाग द्वारा समय समय पर अन्य कार्य/स्थापनात्मक व्यय किया जाना है।
2	23-2851001030103	राज्य स्कीम	हस्तकरघा विकास की योजना	0.00	435.00	435.00	बिहार उद्यमिता संस्थान, सिपेट, एनआईटी, पटना, टीआईआर, टीसी, एफडीआई, बिहार, उमहाओशुअनु संस्थान, बिहारोखा बोर्ड इत्यादि के माध्यम से कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लगभग 17 हजार युवक एवं युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के तहत मशीन ऑपरेटर एवं सीएनसी लेय मोटर रिपेयर, कम्प्यूटर एकाउंटिंग एवं हाडवेयर रिपेरिंग तथा बुनकरों को हस्तकरघा वस्त्र तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है।
	23-2851001070101	राज्य स्कीम	पिछड़ी जातियों के लिए वि	0.00	2,580.00	2,580.00	
	23-2851007890105	राज्य स्कीम	पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत	0.00	1,830.00	1,830.00	
	23-2851007960106	राज्य स्कीम	रेशम का विकास	0.00	50.00	50.00	
	23-2852801020135	राज्य स्कीम	इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	0.00	5,115.00	5,115.00	
	23-2852807890103	राज्य स्कीम	सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग	0.00	50.00	50.00	
3	23-2851001030113	राज्य स्कीम	शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	0.00	500.00	500.00	उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण, पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पथरकट्टी, गया का विकास किया जाना है आईआईटीएफ, प्रवासी भारतीय दिवस, बिहार उत्सव, राज्य स्तरीय मेला का आयोजन किया जाना है। महिला चर्खा समिति, मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु कलस्टर विकास तथा प्रचार एवं प्रकाशन का कार्य किया जाना है।
	23-2851001040101	राज्य स्कीम	हस्तशिल्प का विकास	0.00	2,600.00	2,600.00	
	23-2852800010110	राज्य स्कीम	विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना	0.00	100.00	100.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	23-2851001050101	राज्य स्कीम	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	0.00	1,900.00	1,900.00	खादी रिबेट, मेला, खादी भवन का जिर्णोद्धार, शो रूम का सौन्दर्यीकरण एवं चाहरदीवारी निर्माण, खादी भवनों को रिवाल्विंग फंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना, हाथ कागज केन्द्रों को चालू करना, खादी पुनरुद्धार योजना पर व्यय किया जाना है।
	23-2851007890109	राज्य स्कीम	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना - बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	0.00	1,400.00	1,400.00	
	23-2851007960102	राज्य स्कीम	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	0.00	200.00	200.00	
5	23-2851001070304	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	74.00	74.00	मुख्यमंत्री कोशी मलवरी परियोजना से संबंधित कीट पालकों को उपस्कर क्रय, सिंचाई सुविधा, कीटपालन घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी।
6	23-2851001080101	राज्य स्कीम	विद्युत करघा योजना	0.00	220.00	220.00	मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजान्तर्गत वन भूमि और निजी भू-खण्ड पर लगाये गये तसर खाद्य पौधों का रख-रखाव, कीटपालन उपस्कर का कीटपालकों के बीच वितरण, ग्रेनेज की स्थापना एवं सामान्य सुलभ केन्द्र की स्थापना किया जाना है तथा कार्यशाला, सेमिनार आदि कर योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना है।
7	23-2852087960101	राज्य स्कीम	आर्थिक सहायता	0.00	521.88	521.88	सिंगल विंडो क्लियरेंस, संचिकाओं का डीजीटीलकरण, जिला उद्योग केन्द्रों का सुदृढीकरण, बिहार इम्पोरियम दिल्ली का सौन्दर्यीकरण किया जाना है। टेक्सटाईल पार्क एवं लेदर पार्क का निर्माण/हस्तकरघा एवं रेशम का निर्माण/टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर, पटना में माड्यूलर शेड का निर्माण/ सिपेट, हाजीपुर में एडवांस डिजाइन एण्ड टूल रूम सेन्टर हेतु भवन का निर्माण इत्यादि किया जाना है।
	23-2852801020150	राज्य स्कीम	सेन्ट्रल इस्टीच्यूट आफ प्लारि	0.00	200.00	200.00	
	23-2852801020163	राज्य स्कीम	व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण	0.00	5,550.00	5,550.00	
	23-4851001020102	राज्य स्कीम	टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर	0.00	400.00	400.00	
	23-4851001070103	राज्य स्कीम	रेशम- भवन	0.00	1,000.00	1,000.00	
8	23-2852801020142	राज्य स्कीम	प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य	0.00	1,000.00	1,000.00	प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं परामर्शी कार्य परियोजना की तैयारी, पीओएमओ को फीस एवं अन्य फी पर व्यय किया जाना है।
9	23-2852801020147	राज्य स्कीम	बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के	0.00	100.00	100.00	बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अन्तर्गत पूंजी निवेश प्रोत्साहन हेतु गोष्ठियों का आयोजन/प्रचार-प्रसार किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	23-2852801020160	राज्य स्कीम	प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की या	0.00	32,451.87	32,451.87	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति/खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न योजनाओं के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत उद्यम प्रक्षेत्र की इकाईयों को घोषित रियायतें/सुविधाएँ, वैट/प्रवेश कर प्रतिपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन इत्यादि किया जाना है।
	23-2852807890102	राज्य स्कीम	इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	0.00	9,070.05	9,070.05	
11	23-2852801020164	राज्य स्कीम	बिहार फाउन्डेशन	0.00	100.00	100.00	स्थापनात्मक व्यय एवं विभिन्न राज्यों में बिहार चैप्टर की स्थापना/ अग्रवासी बिहार से सम्पर्क स्थापित करना है ।
12	23-4851001900102	राज्य स्कीम	भेनचर कैपिटल में निवेश	0.00	7,500.00	7,500.00	स्टार्ट अप नीति-2016 लागू की गयी है। जिसका उद्देश्य राज्य के उद्यमियों को उनके इनोवेटिव आईडीयाज जिनको उत्कृष्ट व्यवसायिक रूप देना एवं इसे प्रोत्साहित करना है। इसके लिए भेंचर कैपिटल फंड के रूप में राशि की व्यवस्था की जाना है।
13	23-4851001900103	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० (कॉम्फेड)	0.00	2,000.00	2,000.00	नीरा आधारित उद्योग की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना का विकास किया जाना है ।
14	23-4885020500101	राज्य स्कीम	औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन	0.00	100.00	100.00	उद्योगों की स्थापना हेतु भू-अर्जन किया जाना है ।
योग				0.00	77,187.80	77,187.80	

**परिणाम बजट
2017-2018**

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24-2220601060101	राज्य स्कीम	क्षेत्रीय प्रचार-योजना	0.00	6,990.32	6,990.32	विशेष प्रचार अभियान में इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया, रेडियो, इन्टरनेट, आउटडोर पब्लिसिटी, फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रकाशन, विकास एवं निवेश के लिए वातावरण का निर्माण, सजावटी विज्ञापन, प्रदर्शनी, रोड-शो, होर्डिंग एवं फ्लैक्स निर्माण, मीडिया का प्रशिक्षण, गीत एवं नाट्य, मास मीडिया एवं वे सभी कार्यक्रम जिससे विकास एवं निवेश का वातावरण बनाने के लिए कार्य किया जाना है।
2	24-2220601060106	राज्य स्कीम	बिहार संवाद समिति	0.00	500.00	500.00	सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार करने, प्रभावशाली लोक-संवाद समिति कर लोगों की प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया प्राप्त करने, ब्रांड बिहार विकसित करने, प्रगति एवं उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करने तथा विभिन्न मुद्दों पर लोगों का मूड, परसेप्शन और फीडबैक को जानने-समझने , सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु क्रियेटिव का निर्माण, प्रचार-प्रसार कार्य करने, विज्ञापन कार्य को फेसिलिटेट करने और समाचारों का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार सरकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए गठित बिहार संवाद समिति स्कीम पर व्यय किया जाना है।
3	24-2220607890101	राज्य स्कीम	क्षेत्रीय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	0.00	1,441.97	1,441.97	कमजोर वर्गों के बीच होर्डिंग, फ्लैक्स, फिल्म, लोकगीत, नृत्य-प्रदर्शनी आदि माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने का कार्य किया जाना है।
4	24-2235601100103	राज्य स्कीम	बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना	0.00	50.00	50.00	वरिष्ठ पत्रकारों को बीमा स्कीम से आच्छादित किया जाना है।
5	24-2235602000115	राज्य स्कीम	पत्रकार पेंशन योजना	0.00	30.00	30.00	बिहार पत्रकार पेंशन योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ पत्रकारों को लगभग 600 वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन से आच्छादित किया जाना है।
योग				0.00	9,012.29	9,012.29	

**परिणाम बजट
2017-2018**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	25-2230030010101	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	2,000.00	2,000.00	इस योजना के तहत कुल पाँच वर्षों में राज्य के छः लाख बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
2	25-2852072020106	राज्य स्कीम	ज्ञान सिटी परियोजना	0.00	1,000.00	1,000.00	सूचना प्रावैधिकी से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने यथा-आई0टी0 पार्क और एस0टी0पी0आई0 के साथ-साथ आई0टी0 रोड मैप अन्तर्गत एंजिल फंड, आई0टी0 इको सिस्टम का निर्माण आई0टी0 इन्क्यूबेशन सेंटर, आई0आई0आई0आई0 का निर्माण कार्य किया जाना है।
3	25-2852072020107	राज्य स्कीम	सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार योजना	0.00	300.00	300.00	सूचना प्रावैधिकी को अत्याधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बनाये जाने हेतु इसका प्रचार-प्रसार एवं इससे संबंधित प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। साथ- ही-साथ मानव विकास मिशन योजनान्तर्गत भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
4	25-2852072020108	राज्य स्कीम	स्टेट डाटा सेंटर	0.00	200.00	200.00	राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से स्थापित स्टेट डाटा सेंटर को निर्वाह गति से संचालन किया जाना है।
5	25-2852072020109	राज्य स्कीम	ई-शासन राज्य योजना	0.00	6,129.02	6,129.02	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ बोर्डों/ निगम/ कार्यालयों के लिए कम्प्यूटराइजेशन का कार्य किया जाना है।
6	25-2852072020110	राज्य स्कीम	ई-डिस्ट्रिक्ट योजना	0.00	300.00	300.00	केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित ई.-डिस्ट्रिक्ट परियोजना से उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं को आम नागरिकों को उपलब्ध कराया जाना है।
7	25-2852072020113	राज्य स्कीम	निश्चय-विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में निःशुल्क वाई फाई	0.00	2,000.00	2,000.00	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना है ।
8	25-3451000900118	राज्य स्कीम	सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	0.00	2,000.00	2,000.00	सेकलैन योजना के तहत द्वितीय चरण का कार्य किया जाना है।
9	25-4859020040101	राज्य स्कीम	बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	0.00	8,000.00	8,000.00	बिस्वान-2.0 नेक्स्ट जेनरेशन परियोजना के परिचालन किया जाना है।
योग				0.00	21,929.02	21,929.02	

**परिणाम बजट
2017-2018**

श्रम संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	26-2210011020103	राज्य स्कीम	कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग	0.00	3.00	3.00	22 चिकित्सकों का क्षमता निर्माण एवं 2000 रोगियों का ईलाज पर व्यय किया जाना है ।
2	26-2230011010106	राज्य स्कीम	बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन	0.00	163.18	163.18	बाल श्रमिक आयोग की स्थापना, कॉन्फेंस, कार्यशाला का आयोजन एवं अन्य मद पर व्यय किया जाना है।
3	26-2230011010108	राज्य स्कीम	श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु	0.00	1,078.02	1,078.02	दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के निर्माण एवं उपष्कर, टेबुल, कुर्सी पर व्यय एवं कॉन्फेंस कार्यशाला का आयोजन किया जाना है ।
4	26-2230011010109	राज्य स्कीम	कम्प्युटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.00	100.00	100.00	श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न पक्षों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण तथा कम्प्युटर एवं अन्य उपकरणों का क्रय किया जाना है ।
5	26-2230011030101	राज्य स्कीम	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	0.00	35.59	35.59	8442 श्रमिकों को लाभान्वित किया जाना है ।
	26-2230017890101	राज्य स्कीम	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	0.00	15.23	15.23	
6	26-2230011030103	राज्य स्कीम	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	0.00	281.49	281.49	700 बाल श्रमिकों को लाभान्वित किया जाना है ।
	26-2230017890104	राज्य स्कीम	बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण	0.00	10.63	10.63	
	26-2230017960102	राज्य स्कीम	बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण	0.00	2.13	2.13	
7	26-2230011120201	राज्य स्कीम	बन्धुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	120.00	0.00	120.00	बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास पर व्यय किया जाना है ।
8	26-2230011140102	राज्य स्कीम	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	0.00	197.75	197.75	230 मृत प्रवासी मजदूरों को लाभान्वित किया जाना है ।
	26-2230017890103	राज्य स्कीम	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	0.00	63.00	63.00	
9	26-2230021010101	राज्य स्कीम	नियोजन सेवा का विस्तार	0.00	300.00	300.00	नियोजनालयों के लिए कुर्सी, टेबुल, अलमीरा, बुक सेल्फ इत्यादि का क्रय एवं ई0वैन के माध्यम से सुदुर क्षेत्रों में ऑन-लाईन निबंधन किया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

श्रम संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	26-2230021010110	राज्य स्कीम	नियोजन सेवा हेतु ई प्रोसेस	0.00	75.00	75.00	नियोजनालयों में उपलब्ध कम्प्यूटर सामग्री, फोटो स्टेट मशीन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रख-रखाव किया जाना है।
11	26-2230021010111	राज्य स्कीम	नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम	0.00	150.00	150.00	सीआईटी में पत्र पत्रिका पुस्तक अखबार इत्यादि का क्रय एवं नियोजन-सह- व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला के माध्यम से एक लाख एक हजार बेरोजगार युवाओं को नियोजन का अवसर प्रदान किया जाना है।
12	26-2230021010112	राज्य स्कीम	सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव	0.00	200.00	200.00	समुद्रपार नियोजन ब्यूरो के माध्यम से बिहार के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में जाने संबंधी मार्गदर्शन कार्यक्रम किया जाना है।
13	26-2230021010113	राज्य स्कीम	निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता	0.00	50.00	50.00	निःशक्तजनों के लिए नियोजन सहायता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम, निःशक्तजनों के लिए आवश्यक उपकरण का क्रय और निःशक्तजनों के लिए लोक सूचना कैम्प/सेमिनार का आयोजन किया जाना है।
14	26-2230021010214	राज्य स्कीम	नेशनल कैरियर सर्विस	1,000.00	0.00	1,000.00	बिहार में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किया जाना है।
	26-2230021010314	राज्य स्कीम	नेशनल कैरियर सर्विस	0.00	666.67	666.67	
15	26-2230030030103	राज्य स्कीम	प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण	0.00	20.00	20.00	बिहार के स्थापित 96 औ० प्र० संस्थान एवं प्रस्तावित औ० प्र० संस्थानों के पदाधिकारियों / तकनीकी कर्मचारियों को दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है।
16	26-2230030030105	राज्य स्कीम	पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारम्भ	0.00	100.00	100.00	पूर्व से स्थापित 73 सामान्य औ० प्र० संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने पर राशि व्यय किया जाना है।
17	26-2230030030109	राज्य स्कीम	मशीनों का आधुनिकीकरण	0.00	4,755.35	4,755.35	स्थापित 96 औ० प्र० संस्थान के (नये औ० प्र० संस्थान सहित) एवं 25 प्रस्तावित नये औ० प्र० संस्थान/महिला औ० प्र० संस्थान के बेहतर प्रशिक्षण हेतु आधुनिक मशीन/उपकरणों को उपलब्ध कराया जाना है।
18	26-2230030030112	राज्य स्कीम	स्थापित महिला औ० प्र० सं० में नया व्यवसाय प्रारंभ	0.00	50.00	50.00	पूर्व से स्थापित 23 महिला औ० प्र० संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना है।
19	26-2230030030118	राज्य स्कीम	नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.00	2,500.01	2,500.01	पूर्व से स्थापित 46 औ० प्र० संस्थानों का स्थापना व्यय वहन तथा 07 औ० प्र० संस्थान खोला जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

श्रम संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	26-2230030030126	राज्य स्कीम	मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम	0.00	200.00	200.00	प्रशिक्षणार्थियों के बेहतर प्रशिक्षण हेतु औ० प्र० संस्थान में कम्प्यूटर लैब की स्थापना करना तथा कार्यालयों का कम्प्यूटीरीकरण किया जाना है।
21	26-2230030030129	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	8,328.94	8,328.94	राज्य में कौशल विकास के उन्नयन हेतु स्थापित बिहार कौशल विकास मिशन का स्थापना व्यय एवं इस मिशन के माध्यम से राज्य के 31330 युवा/युवतियों का कौशल क्षमता संवर्द्धन किया जाना है।
22	26-2230030030233	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	1,546.00	0.00	1,546.00	बी०टी०आई०पी० योजनान्तर्गत राज्य चयनित औ० प्र० संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सलेन्स के अन्तर्गत 8 औ० प्र० संस्थानों यथा भागलपुर/ मुजफ्फरपुर/ मोतिहारी / दरभंगा/कटिहार/गया/फारबिसगंज एवं सीतामढ़ी का उन्नयन किया जाना एवं एल० डब्लू ई० के अंतर्गत छः औ० प्र० संस्थान एवं औ० प्र० संस्थान मढौरा को मॉडल अआई० टी० आई० के रूप में विकसित किया जाना है।
	26-2230030030333	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	1,054.00	1,054.00	
23	26-2230031010101	राज्य स्कीम	नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.00	400.00	400.00	इस योजनान्तर्गत पूर्व से स्थापित 09 महिला औ० प्र० संस्थानों का स्थापना व्यय का वहन तथा 04 औ० प्र० संस्थान खोला जाना है।
24	26-2230037890101	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	1,844.90	1,844.90	राज्य में कौशल विकास के उन्नयन हेतु स्थापित बिहार कौशल विकास मिशन का स्थापना व्यय का वहन एवं इस मिशन के माध्यम से राज्य के 6040 युवा/युवतियों (अनुसूचित जाति) का कौशल क्षमता संवर्द्धन किया जाना है।
25	26-2230037960121	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	102.76	102.76	राज्य में कौशल विकास के उन्नयन हेतु स्थापित बिहार कौशल विकास मिशन का स्थापना व्यय का वहन एवं इस मिशन के माध्यम से राज्य के 378 युवा/युवतियों (अनुसूचित जन जाति) का कौशल क्षमता संवर्द्धन किया जाना है।
26	26-2235022000102	राज्य स्कीम	असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा	0.00	490.00	490.00	असंगठित क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार को दुर्घटना मृत्यु/सामान्य मृत्यु/पूर्ण या आंशिक अपंगता प्राप्त होने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।
	26-2235027890110	राज्य स्कीम	असंगठित मजदूरों एवं	0.00	200.00	200.00	
	26-2235027960124	राज्य स्कीम	असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा	0.00	10.00	10.00	

परिणाम बजट
2017-2018

श्रम संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	26-4250000500101	राज्य स्कीम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिए	0.00	5,500.00	5,500.00	नये स्थापित औ० प्र० संस्थानों एवं प्रस्तावित 18 औ० प्र० संस्थानों / 08 महिला औ० प्र० संस्थानों के भवन निर्माण हेतु भू-अर्जन किया जाना है।
योग				2,666.00	28,947.65	31,613.65	

विधि विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27-2014001140105	राज्य स्कीम	बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन को अनुदान	0.00	50.00	50.00	बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन के निर्माण एवं पुस्तकालय हेतु अनुदान दिया जाना है।
योग				0.00	50.00	50.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30-2202021070109	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	0.00	7,183.00	7,183.00	वर्ष 2017 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्र/ छात्राओं तथा इंटरमीडिएट प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाना है।
2	30-2202021070210	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	120.00	0.00	120.00	प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम- मीन्स छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है तथा प्रशासनिक व्यय का वहन किया जाना है।
3	30-2202031070106	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को लोक सेवा	0.00	2,100.00	2,100.00	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कोचिंग की व्यवस्था किया जाना है ।
4	30-2250000030101	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	0.00	5,000.00	5,000.00	अल्पसंख्यक युवक/ युवतियों को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण दिलाया जाना है ।
5	30-2250001010101	राज्य स्कीम	मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप	0.00	2,200.00	2,200.00	22000 मुस्लिम परित्यक्ता के सहायतार्थ अनुदान दिया जाना है ।
6	30-2250008000107	राज्य स्कीम	वक्फ सम्पत्ति के रख-रखाव सुरक्षा तथा संवर्द्धन हेतु	0.00	2,020.00	2,020.00	वक्फ सम्पत्ति के रख-रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन हेतु अनुदान दिया जाना है ।
7	30-2250008000108	राज्य स्कीम	वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवाँलविंग फंड	0.00	7,600.00	7,600.00	अंजुमन इस्लामियों हाल, पटना के पुर्नउद्धार एवं वक्फ सम्पत्ति के विकास हेतु वक्फ बोर्डों को रिवाँलविंग फंड के रूप में अनुदान दिया जाना है ।
8	30-4225808000101	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं	0.00	100.00	100.00	जिलों में निर्मित अल्पसंख्यक छात्रावास का आधुनिकीकरण किया जाना है।
9	30-4225808000102	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यक भवन सह हज हाउस के निर्माण वास्ते	0.00	100.00	100.00	अल्पसंख्यक भवन-सह हज हाउस के साज-सज्जा एवं अतिरिक्त कार्य किया जाना है।
10	30-4250000510207	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	12,900.00	0.00	12,900.00	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना है ।
	30-4250000510307	राज्य स्कीम	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	0.00	7,410.00	7,410.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	30-5465011900104	राज्य स्कीम	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सापूंजी के रु	0.00	6,000.00	6,000.00	सुशासन कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के उद्देश्य से कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने हेतु राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जाना है।
12	30-7465001900101	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना	0.00	4,000.00	4,000.00	सुशासन कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को भी तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाना है।
योग				13,020.00	43,713.00	56,733.00	

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33-2052000920122	राज्य स्कीम	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी	0.00	5,852.51	5,852.51	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था तथा मानव संसाधन को दक्ष, प्रभावी एवं जिम्मेवार बनाना, लोक सेवाओं की कार्य क्षमता, अभिप्रेरणा एवं कार्यकुशलता का विकास, हेल्प लाईन 'जिज्ञासा' के माध्यम से जनता को बेहतर सुविधा प्रदान कराना, सुशासन केन्द्र स्थापित करना, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, लोक संवेदना अभियान का संचालन तथा चल-अचल सम्पत्तियों की विवरणी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है।
योग				0.00	5,852.51	5,852.51	

**परिणाम बजट
2017-2018**

योजना एवं विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	35-2052000900103	राज्य स्कीम	योजना यंत्र का सुदृढीकरण	0.00	250.00	250.00	विभागीय मुख्यालय के लिए आधारभूत संरचना का विकास कार्य किया जाना है।
2	35-2053000940109	राज्य स्कीम	योजना यंत्र का सुदृढीकरण जिला स्तरीय योजना	0.00	750.00	750.00	जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजना का सूत्रण एवं निर्माण किया जाना है।
3	35-2070000010105	राज्य स्कीम	बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण	0.00	200.00	200.00	बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण पर व्यय किया जाना है।
4	35-2235012020505	राज्य स्कीम	आपात कालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना, विश्व बैंक	0.00	34,695.67	34,695.67	बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान योजना के तहत 37 सड़क, 69 पुल निर्माण, 55667 गृह निर्माण एवं 31923 शौचालय निर्माण की योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत 86 सड़क, 58 पुल का निर्माण कराया जा रहा है।
	35-2235017890501	राज्य स्कीम	आपातकालीन कोशी पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	0.00	9,873.87	9,873.87	
	35-2235017960501	राज्य स्कीम	आपात कालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	0.00	724.46	724.46	
5	35-2235602000117	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	0.00	57,250.00	57,250.00	मुख्यमंत्री के निश्चय के अंतर्गत 20-25 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता भत्ता उपलब्ध कराया जाना है।
	35-2235607890106	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	0.00	12,000.00	12,000.00	
	35-2235607960102	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	0.00	750.00	750.00	
6	35-2235602000120	राज्य स्कीम	बिहार मंदिर चाहर दिवारी निर्माण निधि योजना, 2015 (गृह विभाग हेतु)	0.00	3,000.00	3,000.00	बिहार मंदिर चाहरदिवारी का निर्माण कराया जाना है।
7	35-3475000040101	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना	0.00	100.00	100.00	नवप्रवर्तन के प्रोत्साहन हेतु कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार का आयोजन किया जाना है इसके लिए सहायक अनुदान दिया जाना है।
8	35-4070000510107	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना	0.00	58,429.00	58,429.00	माननीय सदस्य विधान सभा/ परिषद के अनुसंसा पर स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु व्यय किया जाना है।
	35-4070007890103	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	0.00	10,176.00	10,176.00	
	35-4070007960101	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना	0.00	636.00	636.00	
9	35-4070000510109	राज्य स्कीम	योजना तंत्र का सुदृढीकरण जिला	0.00	1,000.00	1,000.00	जिला योजना /स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/ सांख्यिकी संयुक्त भवन का निर्माण किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

योजना एवं विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	35-4070000510210	राज्य स्कीम	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	4,600.00	0.00	4,600.00	सीमावर्ती जिलों में आधारभूत संरचना का विकास यथा पथ, पुलिया एवं शौचालय निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, कृषि से संबंधित प्रक्षेत्रों में योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है।
	35-4070000510310	राज्य स्कीम	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	0.00	4,416.56	4,416.56	
	35-4070007890302	राज्य स्कीम	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	0.00	1,717.44	1,717.44	
11	35-4235600510104	राज्य स्कीम	कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी (गृह विभाग हेतु)	0.00	3,000.00	3,000.00	कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी किया जाना है।
12	35-4401000510102	राज्य स्कीम	कृषि विभाग के भवन	0.00	8,761.58	8,761.58	16 जिलों में प्रखण्ड स्तर पर ई-किसान भवन की स्थापना पर व्यय किया जाना है।
	35-4401007890104	राज्य स्कीम	कृषि विभाग के भवन	0.00	1,688.98	1,688.98	
	35-4401007960102	राज्य स्कीम	कृषि विभाग के भवन	0.00	105.56	105.56	
13	35-4515001010105	राज्य स्कीम	पंचायत सरकार भवनों का निर्माण (पंचायती राज विभाग)	0.00	30,000.00	30,000.00	पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है।
14	35-4515001010501	राज्य स्कीम	पंचायती राज भवन (वाह्य संपोषित)	0.00	15,000.00	15,000.00	राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का ग्राम पंचायतों से लेकर राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन, सशक्तीकरण, शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण एवं कार्यक्षमता में वृद्धि किया जाना है।
15	35-4515001020303	राज्य स्कीम	एलडब्ल्यूई जिलों के लिए एसीए	0.00	6,000.00	6,000.00	वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त सहायता दिया जाना है।
योग				4,600.00	2,60,525.12	2,65,125.12	

**परिणाम बजट
2017-2018**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	36-2215011020106	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	16,624.00	16,624.00	विकसित बिहार के सात निश्चय अन्तर्गत "हर घर नल का जल" निश्चय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15253 वार्ड के परिवारों को नल का जल देने हेतु अनुदान दिया जाना है।
	36-2215017890104	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	3,200.00	3,200.00	
	36-2215017960105	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	176.00	176.00	
2	36-2215020030102	राज्य स्कीम	बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण	0.00	20.00	20.00	पटना स्थित प्रशिक्षण सह शोध केन्द्र (प्रांजल) को सहायता अनुदान दिया जाना है।
3	36-4215011020101	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.00	1,650.00	1,650.00	5 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना को पूरा करने का लक्ष्य एवं विकसित बिहार के सात निश्चय अन्तर्गत "हर घर नल का जल" निश्चय के लक्ष्य को पूरा करने हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
	36-4215017890102	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.00	320.00	320.00	
	36-4215017960115	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.00	30.00	30.00	
4	36-4215011020103	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (	0.00	10,170.00	10,170.00	38 जिलों में 25000 चापाकलों का लगाये जाने का लक्ष्य है।
5	36-4215011020116	राज्य स्कीम	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का ि	0.00	2,246.15	2,246.15	भागलपुर जिला के आर्सेनिक प्रभावित टोलों में कहलगांव एवं पीरपैती प्रखण्डों तथा सुलतानगंज एवं नाथनगर प्रखण्डों में दो बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना तथा 11 जिलों के 3467 फ्लोराईड प्रभावित टोलों में पेयजल हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
	36-4215017890104	राज्य स्कीम	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना	0.00	445.29	445.29	
	36-4215017960109	राज्य स्कीम	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का	0.00	42.56	42.56	
6	36-4215011020119	राज्य स्कीम	निदेशन, प्रशासन एवं स्थापना	0.00	800.00	800.00	नवसृजित कार्यालयों यथा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय, पूर्णियाँ, अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, सासाराम एवं बेगुसराय तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, अरवल, शिवहर, लखीसराय, सुपौल एवं किशनगंज के लिए स्थापना व्यय किया जाना है।
7	36-4215011020124	राज्य स्कीम	अन्वेषण एवं सर्वेक्षण	0.00	20.00	20.00	अन्वेषण, प्रशिक्षण एवं बहुग्रामीय जलापूर्ति परियोजना तैयार करने हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
8	36-4215011020125	राज्य स्कीम	जलगुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	0.00	10.00	10.00	पेयजल गुणवत्ता की जाँच हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशाला का उन्नयन कार्य किया जाना है।

परिणाम बजट
2017-2018

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	36-4215011020132	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	78,912.00	78,912.00	राज्य के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में (आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु 1200 बसावटों में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।
	36-4215017890114	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	15,200.00	15,200.00	
	36-4215017960119	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	810.00	810.00	
10	36-4215011020230	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	29,050.00	0.00	29,050.00	भागलपुर जिला के आर्सेनिक प्रभावित टोलों में कहलगोव एवं पीरपैती प्रखण्डों तथा सुलतानगंज एवं नाथनगर प्रखण्डों में दो बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना में राशि का किया जाना है। जलगुणवत्ता प्रभावित टोलों में 450 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण, 235 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं, 11 जिलों के 3467 फ्लोराईड प्रभावित टोलों में तथा राज्य के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में (आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं आयरन) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु 1200 बसावटों में जलापूर्ति योजना तथा 10897 ससटेनेबल चापाकलों के कार्यान्वयन पर राशि व्यय किया जाना है।
	36-4215017890212	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5,500.00	0.00	5,500.00	
	36-4215017960217	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	450.00	0.00	450.00	
11	36-4215011020330	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	0.00	19,169.00	19,169.00	जलगुणवत्ता प्रभावित टोलों में 450 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण तथा 235 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने पर राशि व्यय किया जाना है।
	36-4215017890312	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	0.00	3,863.00	3,863.00	
	36-4215017960317	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	0.00	301.33	301.33	
12	36-4215011020531	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (विश्व बैंक सम्पोजित)	0.00	5,000.00	5,000.00	चार बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण तथा 133 ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
13	36-4215017890111	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना-	0.00	3,630.00	3,630.00	38 जिलों में 25000 चापाकलों को लगाये जाने का लक्ष्य है।
	36-4215017960107	राज्य स्कीम	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स, कूप, नलकूप)	0.00	200.00	200.00	
14	36-4215021060104	राज्य स्कीम	शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा	0.00	3,150.00	3,150.00	38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में 3200 चापाकलों को लगाया जाने का लक्ष्य है।
योग				35,000.00	1,65,989.33	2,00,989.33	

**परिणाम बजट
2017-2018**

ग्रामीण कार्य विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	37-2515000010108	राज्य स्कीम	ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की	0.00	18,000.00	18,000.00	कार्यालयों के स्थापना पर व्यय किया जाना है।
2	37-2515008000116	राज्य स्कीम	बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी	0.00	500.00	500.00	ब्राडा हेतु सहायक अनुदान दिया जाना है।
3	37-4515001030101	राज्य स्कीम	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	0.00	10,005.00	10,005.00	तकनीकी पदाधिकारी/ कम्प्यूटर सक्षमता हेतु व्यय किया जाना है।
4	37-4515001030105	राज्य स्कीम	ग्राम विकास की परियोजनाएं	0.00	45,431.00	45,431.00	115 कि०मी० पथ एवं 4900 मी० पुल का निर्माण किया जाना है।
5	37-4515001030113	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	0.00	10,000.00	10,000.00	इस राशि से 140 कि०मी० नये पथों का निर्माण किया जाना है।
6	37-4515001030119	राज्य स्कीम	ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना	0.00	72,963.64	72,963.64	ग्रामीण टोलों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 950 कि०मी० पथों का निर्माण किया जाना है।
7	37-4515001030216	राज्य स्कीम	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	3,30,000.00	0.00	3,30,000.00	6000 कि०मी० पी०एम०जी०एस०वाई० सड़कों का निर्माण किया जाना है।
	37-4515001030316	राज्य स्कीम	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	0.00	2,20,000.00	2,20,000.00	
8	37-4515007890104	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	0.00	1,36,269.81	1,36,269.81	अनुसूचित जाति के टोलों/बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 1700 कि०मी० पथों का निर्माण किया जाना है।
9	37-4515007960109	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	0.00	8,516.86	8,516.86	अनुसूचित जनजाति के टोलों/बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 130 कि०मी० नये पथों का निर्माण किया जाना है।
योग				3,30,000.00	5,21,686.31	8,51,686.31	

**परिणाम बजट
2017-2018**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	38-2039000010109	राज्य स्कीम	समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली	0.00	100.00	100.00	समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत विभाग द्वारा राशि प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन, विधुत भवन, बेली रोड, पटना को उपलब्ध कराया जाना है ।
योग				0.00	100.00	100.00	

परिणाम बजट
2017-2018

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	39-2235012000003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	शीत लहर से बचाव हेतु उपाय	0.00	50.00	50.00	शीतलहर से बचाव हेतु अलाव जलाने के निमित्त जिलों को राशि दी जानी है।
2	39-2235012000004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए	0.00	500.00	500.00	कटाव से विस्थापितों को पुनर्वासित करने का कार्य किया जाना है।
3	39-2235602000008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घा	0.00	525.00	525.00	राज्य में घटित गैर प्राकृतिक आपदा की घटनाओं हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि दिया जाना है।

परिणाम बजट
2017-2018

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	39-2245011010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	निःसहाय्य एवं विकलांगों को नगद अनुदान	0.00	1,000.00	1,000.00	राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	39-2245011010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.00	10.00	10.00	
	39-2245011010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	0.00	1.00	1.00	
	39-2245011010005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अन्य कार्य	0.00	100.00	100.00	
	39-2245011040001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	चारे की पूर्ति	0.00	100.00	100.00	
	39-2245011050001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पशुओं के लिए दवा	0.00	10.00	10.00	
	39-2245012820002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत	0.00	100.00	100.00	
	39-2245021010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	निःसहाय्य एवं विकलांगों को नगद अनुदान	0.00	10,000.00	10,000.00	
	39-2245021010002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खाद्यान्न की आपूर्ति	0.00	11,000.00	11,000.00	
	39-2245021010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.00	2,000.00	2,000.00	
	39-2245021010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	0.00	100.00	100.00	
	39-2245021010005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान	0.00	1,000.00	1,000.00	
	39-2245021010006	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	0.00	1,000.00	1,000.00	
	39-2245021010007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	0.00	1,000.00	1,000.00	
	39-2245021010012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से	0.00	1.00	1.00	

परिणाम बजट
2017-2018

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
	39-2245021010014	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	शीत लहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद दान	0.00	10.00	10.00	राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	39-2245021010016	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	0.00	5,170.00	5,170.00	
	39-2245021020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेयजल की आपूर्ति	0.00	100.00	100.00	
	39-2245021040001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	चारे की पूर्ति	0.00	250.00	250.00	
	39-2245021050001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पशुओं के लिए दवा	0.00	50.00	50.00	
	39-2245021060001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	क्षतिग्रस्त सड़को-पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021090001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021120002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जनसंख्या का निष्क्रमण	0.00	5,500.00	5,500.00	
	39-2245021120003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव	0.00	500.00	500.00	
	39-2245021120004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	संचार उपकरणों का क्रय	0.00	500.00	500.00	
	39-2245021130001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन	0.00	400.00	400.00	
	39-2245021130003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/	0.00	100.00	100.00	
	39-2245021140001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	0.00	3,600.00	3,600.00	
	39-2245021140002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वार्षिक फसलों के लिए सहायता	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021140003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कृषि फसलों के लिए सहायता	0.00	1.00	1.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
	39-2245021140004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बागवानी की फसलों के लिए सहायता	0.00	1.00	1.00	राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	39-2245021140005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेरिनियल (शाश्वत) फसलों के लिए सहायता	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021150001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भूमि से रेत /गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021150002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद बालू	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021160001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खराब ट्यूबवेलों /पम्पसेटों आदि की मरम्मति के लिए	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021170001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव	0.00	100.00	100.00	
	39-2245021170002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	दुधारू पशुओं का बदलाव	0.00	20.00	20.00	
	39-2245021170003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जीवनोंपयोगी पशुओं का बदलाव	0.00	125.00	125.00	
	39-2245021180001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मती/नये नावों का निर्माण	0.00	500.00	500.00	
	39-2245021190001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पारम्परिक हस्तशिल्प बुनकरों को करधा उपकरणों की	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021190002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	सूत एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021190003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	हस्तकरधा बुनकरों को सहायता अनुदान	0.00	1.00	1.00	
	39-2245021960001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.00	1.00	1.00	
	39-2245028000007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त साहाय्य सामग्री के परिवहन तथा हथालन पर होने वाले व्यय	0.00	38.87	38.87	

**परिणाम बजट
2017-2018**

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
	39-2245028000008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु	0.00	200.00	200.00	राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	39-2245061010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान	0.00	20.00	20.00	
	39-2245061010002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान	0.00	5.00	5.00	
	39-2245061010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खाद्यान्न की आपूर्ति	0.00	5.00	5.00	
	39-2245061010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	0.00	5.00	5.00	
	39-2245061130001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत-पुनर्स्थापन	0.00	5.00	5.00	
5	39-2245011020001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल	0.00	100.00	100.00	राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक राशि उपलब्ध करायी जानी है।
6	39-2245021010010	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	0.00	300.00	300.00	राज्य में घटित वज्रपात की घटनाओं हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जानी है।
7	39-2245021010011	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पया	0.00	1.00	1.00	राज्य राज्य आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में राशि उपलब्ध करायी जानी है। आपदा स्प्रिंस कोष की कर्णांकित राशि से प्राकृतिक आपदा आने पर जिलों /विभागों द्वारा की गई अधियाचना के आलोक राशि उपलब्ध करायी जानी है।
8	39-2245021010015	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों परिवारों को अनुग्रह अनुदान	0.00	10.00	10.00	राज्य के बाहर में घटित घटनाओं में मृत वैसे व्यक्तियों, जो राज्य के निवासी हैं को अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जानी है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	39-2245051010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्राकृतिक आपदा कोष	0.00	51,700.00	51,700.00	एस०डी०आर०एफ० की राशि का लेखा अन्तरण किया जाना है ।
	39-2245059010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आपदा राहत कोष में किये गये व्यय (घटाये)	0.00	-51,700.00	-51,700.00	
10	39-2245801020005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.00	1,000.04	1,000.04	आपदा प्रबंधन से संबंधित जागरूकता एवं क्षमता निर्माण हेतु राशि दिया जाना है ।
	39-2245801020006	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन	0.00	5.00	5.00	
11	39-2245808000003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	0.00	15.00	15.00	संकटग्रस्त किसानों की मृत्यु होने पर सहायता राशि दिया जाना है।
12	39-2245020010101	राज्य स्कीम	बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था	0.00	620.00	620.00	बाढ़ प्रवण 28 जिलों के लिए 9 नोडल जिलों द्वारा 500-500 व्यक्तियों के आवासन हेतु अतिरिक्त टेंट क्रय किया जाना है। लाईफ जैकेट राहत शिविरों में उपयोग हेतु वर्तनों एवं महाजाल का क्रय किया जाना है तथा उन्हें सुरक्षित रखने हेतु आवश्यकतानुसार बक्सा का क्रय किया जाना है ।
13	39-2245021120104	राज्य स्कीम	संचार उपकरणों का क्रय	0.00	250.00	250.00	एस०डी०आर०एफ० एवं जिलों हेतु 40 एफ०आर०पी० एवं 305 इन्फ्लेटेबल मोटरबोट क्रय किया गया है आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मोटरबोटों का क्रय किया जाना है एवं उनके रख-रखाव में राशि का व्यय किया जाना है । सभी जिला पदाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों/प्रंडलों हेतु कुल 85 अदद सेटेलाईट फोन का क्रय बेल्ट्रान के माध्यम से किया जा रहा है । 27 सेटेलाईट फोन का अधिष्ठापन किया जा चुका है । उनके रख-रखाव में राशि का व्यय किया जाना है ।
14	39-2245800010204	राज्य स्कीम	राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण	86.50	0.00	86.50	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अति बाढ़ प्रवण 15 जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सुदृढीकरण हेतु राशि व्यय किया जाना है।
15	39-2245801020104	राज्य स्कीम	राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स	0.00	2,499.00	2,499.00	गठित राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स के संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों एवं बी०एम०पी० से प्रतिनियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान, उनके मूवमेंट तथा बचाव एवं राहत कार्य हेतु आवश्यक सामग्रियों आदि का क्रय किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

आपदा प्रबंधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	39-2245801020105	राज्य स्कीम	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.00	480.00	480.00	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के अंतर्गत 36 जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माण पूर्ण शेष 2 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है तथा उन्हें आवश्यक उपस्कर/संसाधनों की व्यवस्था कर चालू किया जाना है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु व्यय किया जाना है।
17	39-2245808000102	राज्य स्कीम	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.00	1,150.00	1,150.00	जागरूकता एवं क्षमता निर्माण अंतर्गत गोताखोर, समुदाय, अनुसूचित जाति एवं मोटरवोट चालक का प्रशिक्षण दिया जाना है, कार्यशाला एवं विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय किया जाना है तथा विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप के क्रियान्वयन पर व्यय किया जाना है।
18	39-4250000510104	राज्य स्कीम	वैयर हाउस	0.00	40.00	40.00	28 बाढ़ प्रवण जिलों में वैयर हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा रहा है जिनमें से 26 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण शेष 2 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।
योग				86.50	52,183.91	52,270.41	

**परिणाम बजट
2017-2018**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40-2029000010102	राज्य स्कीम	जोतों की चकबंदी	0.00	1,500.00	1,500.00	150 ग्रामों में धारा-26 (क) के तहत अनाधिसूचित किया जाना है।
2	40-2029000030101	राज्य स्कीम	क्षमता बर्द्धन	0.00	50.00	50.00	राज्य के चौमुखी विकास हेतु राजस्व प्रशासन के विभागीय/ क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल में वृद्धि पर व्यय किया जाना है।
3	40-2029001020101	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	0.00	3,382.60	3,382.60	सर्वे और बंदोबस्त कार्य में नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जाना है।
4	40-2029001030206	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	7,327.21	0.00	7,327.21	एनएलआरएमपी के अंतर्गत भू-अभिलेखों को डिजिटिज किया जाना है।
5	40-4047000500104	राज्य स्कीम	सड़क निर्माण हेतु भूमि क	0.00	50.00	50.00	सम्पर्क विहिन ग्राम/टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाना है।
6	40-4047000500106	राज्य स्कीम	भूमि बैंक योजना	0.00	1.00	1.00	जिला मुख्यालय एवं अनुमण्डल मुख्यालय में भूमि बैंक स्थापित किया जाना है।
7	40-4047000500107	राज्य स्कीम	पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय	0.00	100.00	100.00	इस योजनान्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के परिवारों यथा पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग-2 के वास रहित परिवारों के एमओबीओआर पर रैयती भूमि क्रय करके 5 डिसमिल प्रति परिवार वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है।
8	40-4047000510104	राज्य स्कीम	भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के	0.00	1.00	1.00	राज्य के अनुमंडलों में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के लिए न्यायालय/कार्यालय कक्ष का निर्माण किया जाना है।
9	40-4047007890106	राज्य स्कीम	गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	0.00	2,506.57	2,506.57	अनुसूचित जातियों के गृह विहिन परिवारों के लिए वास भूमि हेतु एमओबीओआर पर रैयती भूमि का क्रय कर 5 डिसमिल प्रति परिवार वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है।
10	40-4047007960101	राज्य स्कीम	गृह विहिनों के लिए वास भूमि	0.00	156.66	156.66	टीओएसओपीओ योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के वास रहित परिवारों को वास भूमि एमओबीओआर पर क्रय करके 5 डिसमिल प्रति परिवार वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है।
11	40-3454010010402	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	कृषि गणना	149.39	0.00	149.39	कृषि गणना अंतर्गत ऑपरेशनल होल्डिंग को गणना की इकाई मानकर राज्य के सभी ऑपरेशनल होल्डिंगों के लिए ऑकडे एकत्रित किये जाने पर राशि व्यय किया जाना है।
योग				7,476.60	7,747.83	15,224.43	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पथ निर्माण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41-3054031030002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अन्य अनुरक्षण व्यय	0.00	57,500.00	57,500.00	कुल 8083 कि०मी० वृहद् जिला पथों एवं राज्य उच्च पथों के संधारण कार्य किया जाना है ।
2	41-3054800030101	राज्य स्कीम	प्रशिक्षण एवं शोध	0.00	40.00	40.00	पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्य पर व्यय किया जाना है।
3	41-5054023370101	राज्य स्कीम	भारत-नेपाल सीमा सड़क	0.00	45,000.00	45,000.00	भारत-नेपाल सीमा समानान्तर सड़क भू-अर्जन एवं यूटिलिटी, शिफ्टिंग आदि कार्य किया जाना है ।
4	41-5054030520101	राज्य स्कीम	मशीनें एवं उपस्कर	0.00	15.00	15.00	हॉट मिक्स प्लान्ट से संबंधित इकाईयों की स्थापना, अन्य मशीन एवं उपस्कर का क्रय किया जाना है ।
5	41-5054031010101	राज्य स्कीम	पुल	0.00	48,973.75	48,973.75	वृहद् पुलों के साथ-साथ विभिन्न पुल-पुलियों का निर्माण कार्य किया जाना है ।
6	41-5054031010103	राज्य स्कीम	पुल (नाबार्ड)	0.00	1,23,671.00	1,23,671.00	वृहद् पुलों के निर्माण के साथ-साथ 50 कि०मी० पथांश का निर्माण कार्य किया जाना है ।
7	41-5054031010104	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	0.00	10,000.00	10,000.00	ग्रामीण सम्पर्कता पहुँच पथ एवं पुलियों का अवशेष निर्माण कार्य किया जाना है ।
8	41-5054033370102	राज्य स्कीम	वृहद्-सड़के	0.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1500 कि०मी० पथांश का निर्माण एवं भू-अर्जन कार्य किया जाना है।
	41-5054037890101	राज्य स्कीम	वृहद् सड़के	0.00	91,254.24	91,254.24	
9	41-5054033370206	राज्य स्कीम	केन्द्रीय सड़क निधि	19,700.00	0.00	19,700.00	50 कि०मी० सड़क निर्माण के साथ 5 अर्द्ध पुल का निर्माण कार्य किया जाना है ।
10	41-5054033370211	राज्य स्कीम	विशेष सहायता (बी०आर०जी०-पथ)	30,353.00	0.00	30,353.00	एम्स एलीभेटेड कॉरीडोर सहित रेल-कम-रोड ब्रिज के पहुँच पथ का कार्य किया जाना है ।
11	41-5054033370508	राज्य स्कीम	सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पत्ति)	0.00	1,01,332.00	1,01,332.00	200 कि०मी० पथांश का निर्माण कार्य एवं कच्ची दरगाह- विदुपुर के बीच पुल निर्माण कार्य किया जाना है ।
योग				50,053.00	5,77,785.99	6,27,838.99	

**परिणाम बजट
2017-2018**

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	42-2203001120106	राज्य स्कीम	डैवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट	0.00	5,000.00	5,000.00	आईओआरओएमओए के तर्ज पर राज्य में विकास प्रबंधन संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई, इस संस्थान में विकास कार्यक्रमों में लगे अधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पर व्यय किया जाना है।
2	42-2215021050103	राज्य स्कीम	लोहिया स्वच्छता योजना	0.00	25,000.00	25,000.00	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी बी.पी.एल. परिवारों एवं चिन्हित श्रेणी के ए.पी.एल. परिवारों यथा- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूर, लघु एवं सीमान्त किसान, महिला प्रधान परिवार एवं शारीरिक रूप से विकलांग को घरेलू शौचालय के उपयोग एवं हाथ धोने हेतु जल संधारण की व्यवस्था के साथ घरेलू शौचालय का निर्माण किया जाना है। चिन्हित श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के ए.पी.एल. परिवार जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है, को राज्य सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन पर व्यय किया जाना है।
	42-2215021050202	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	5,800.00	0.00	5,800.00	
	42-2215021050302	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	0.00	3,866.68	3,866.68	
	42-2215027890204	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	7,975.00	0.00	7,975.00	
	42-2215027890304	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	0.00	5,316.66	5,316.66	
	42-2215027960206	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	725.00	0.00	725.00	
	42-2215027960306	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	0.00	483.33	483.33	
3	42-2216031050104	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	0.00	400.00	400.00	इन्दिरा आवास योजना के अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग पर व्यय किया जाना है।
4	42-2216031050106	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	0.00	1,000.00	1,000.00	50000 महादलित इंदिरा आवास के लाभको को दो माह के अंदर आवास के निर्माण कराने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप रु० 2000/-प्रति लाभुक की दर से अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराने पर व्यय किया जाना है।
5	42-2216031050202	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आईए वाई)	1,66,184.00	0.00	1,66,184.00	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्य परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना है।
	42-2216031050302	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आईए वाई)	0.00	66,666.80	66,666.80	
6	42-2216037890103	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	0.00	9,200.00	9,200.00	30666 अनु०जाति/जनजाति के इन्दिरा आवास लाभुकों को रु० 30000/-प्रति लाभुक की दर से मरम्मत हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	42-2216037890202	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	2,28,503.00	0.00	2,28,503.00	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्य परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना है।
	42-2216037890302	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	0.00	91,666.85	91,666.85	
	42-2216037960202	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	20,773.04	0.00	20,773.04	
	42-2216037960302	राज्य स्कीम	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	0.00	8,333.35	8,333.35	
8	42-2501010010104	राज्य स्कीम	बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग	0.00	200.00	200.00	विभागीय योजनाओं की नियमित रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग के माध्यम से योजनाओं से जुड़े राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर व्यय किया जाना है।
9	42-2501060010101	राज्य स्कीम	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-मुख्यालय स्थापना	0.00	500.00	500.00	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया जाना है।
10	42-2501061010202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	22,010.00	0.00	22,010.00	इस योजना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है, साथ ही राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है। इस योजना के तहत क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम पर केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान की राशि का सामान्य मद, अनुसूचित जाति मद एवं अनुसूचित जनजाति मद में क्रमशः 50, 29 एवं 21 प्रतिशत व्यय किया जाता है। साथ ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	42-2501061010302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	0.00	14,673.33	14,673.33	इस योजना अन्तर्गत सशक्तीकरण हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराने का प्रावधान है, साथ ही राज्य के युवाओं के कौशल विकास एवं नियोजन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है। इस योजना के तहत क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम पर केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे विषय शीर्ष में बजट प्रावधानित राशि का समान्य मद, अनुसूचित जाति मद एवं अनुसूचित जनजाति मद में क्रमशः 50, 29 एवं 21 प्रतिशत व्यय किया जाता है। साथ ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जाना है।
	42-2501067890202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	12,765.80	0.00	12,765.80	
	42-2501067890302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	0.00	8,510.53	8,510.53	
	42-2501067960202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	9,244.20	0.00	9,244.20	
	42-2501067960302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	0.00	6,162.80	6,162.80	
12	42-2505017010102	राज्य स्कीम	मुख्यालय स्थापना ।	0.00	615.00	615.00	राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया जाना है ।
13	42-2505021010201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1,50,298.00	0.00	1,50,298.00	1500.00 लाख श्रम दिवस की उपलब्धि प्राप्त किया जाना है।
	42-2505021010301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	0.00	16,698.00	16,698.00	
	42-2505027890201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1.00	0.00	1.00	
	42-2505027890301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	0.00	1.00	1.00	
	42-2505027960201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1.00	0.00	1.00	
	42-2505027960301	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	0.00	1.00	1.00	
14	42-2515000030101	राज्य स्कीम	बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	0.00	320.00	320.00	ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों/पदाधिकारियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण आदि पर व्यय किया जाना है।
15	42-3454022060102	राज्य स्कीम	विशिष्ट पहचान योजना (यूओआईओडीओ)	0.00	2,000.00	2,000.00	राज्य के शेष बचे लोगों का शत प्रतिशत आधार पंजीकरण पूर्ण करने हेतु संबंधित एजेंसी के मानदेय पर व्यय किया जाना है ।
16	42-4515001030102	राज्य स्कीम	प्रखंड लघु निर्माण कार्य	0.00	5,100.00	5,100.00	राज्य के भूमिहीन प्रखण्डों के नये प्रखण्ड भवन निर्माण हेतु भू-अर्जन पर व्यय किया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग				6,24,280.04	2,71,715.33	8,95,995.37	

**परिणाम बजट
2017-2018**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	43-2203000040101	राज्य स्कीम	बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,	0.00	565.00	565.00	बिहार काउंसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (बी०सी०एस०टी०) इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर-प्लेनेटेरियम, पटना के संचालन, बिहार रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, पटना के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा साइंस सिटी के परामर्शी के भुगतान पर व्यय किया जाना है।
2	43-2203001050106	राज्य स्कीम	प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	0.00	301.90	301.90	पूर्व स्थापित पोलिटेकनिक के 6 संस्थानों में नया डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन की योजनान्तर्गत सुजित पदों पर कार्यरत कर्मियों का वेतन एवं भत्तादि तथा रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर सेवारत कर्मियों के मानदेय के भुगतान सहित संचालित 32 संस्थानों में पुस्तक के क्रय पर व्यय किया जाना है।
3	43-2203001120101	राज्य स्कीम	स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	0.00	602.97	602.97	नालन्दा, मधेपुरा तथा सीतामढ़ी जिला में स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों में सुजित पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतन एवं भत्तादि तथा रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर सेवारत कर्मियों के मानदेय के भुगतान सहित संचालित 13 संस्थानों में पुस्तक के क्रय पर व्यय किया जाना है।
4	43-2203001120105	राज्य स्कीम	कौशल विकास मिशन	0.00	1,000.00	1,000.00	बिहार कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत युवाओं को विभिन्न मॉड्युलर इम्पलाएबल स्किल में प्रशिक्षण पर व्यय किया जाना है।
5	43-4202021040102	राज्य स्कीम	पोलिटैकनिक/इंजीनियरिंग/तकनी की महाविद्यालय	0.00	575.00	575.00	राज्य में पूर्व स्थापित तथा नवस्थापित पोलिटैकनिकों के कर्मशाला/प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना है।
6	43-4202021040109	राज्य स्कीम	पोलिटैकनीक (निश्चय)	0.00	5,000.00	5,000.00	राज्य के सभी जिलों में नये स्थापित पोलिटैकनिक के प्रयोगशाला/कर्मशाला के लिए मशीनें/उपकरण/ उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन पर व्यय किया जाना है।
7	43-4202021050102	राज्य स्कीम	पोलिटैकनिक/इंजीनियरिंग/तकनी की महाविद्यालय	0.00	1,000.00	1,000.00	राज्य में पूर्व स्थापित तथा नवस्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों के कर्मशाला/प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण/ सुदृढ़ीकरण तथा चण्डी (नालन्दा) में स्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय के भवनादि के निर्माण कार्य पर राशि व्यय किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	43-4202021050106	राज्य स्कीम	अभियंतत्रण महाविद्यालय (निश्चय)	0.00	4,500.00	4,500.00	राज्य के सभी जिलों में स्थापित नये अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्रयोगशाला/कर्मशाला के लिए मशीनें/ उपकरण/ उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन पर राशि व्यय किया जाना है।
योग				0.00	13,544.87	13,544.87	

**परिणाम बजट
2017-2018**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	44-2225010010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	निर्देशन एवं प्रशासन	0.00	4,684.08	4,684.08	स्थापना मद में व्यय किया जाना है ।
	44-2225010010003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य अनुसूचित जाति आयोग	0.00	237.60	237.60	
	44-2225020010001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	0.00	204.76	204.76	
	44-2251000900023	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग	0.00	484.02	484.02	
2	44-2225010010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वैधिक सहायता	0.00	1.00	1.00	अनु० जाति के व्यक्तियों को मुकदमा लड़ने हेतु सहायता अनुदान दिया जाना है ।
3	44-2225011970001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	15.00	15.00	32 हजार अनु० जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
4	44-2225012770002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	छात्रावासों का संधारण	0.00	994.77	994.77	6000 अनु० जाति छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाना है ।
	44-2225022770003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	0.00	165.79	165.79	
5	44-2225012770003	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आवासीय विद्यालय	0.00	9,777.66	9,777.66	30 हजार अनु० जाति छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जाना है ।
	44-2225022770004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आवासीय विद्यालय	0.00	1,710.99	1,710.99	
6	44-2225012770008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	0.00	16.00	16.00	मेडिकल/अभियंत्रण/कृषि महाविद्यालयों में पुस्तक अधिकोष की स्थापना पर व्यय किया जाना है ।
7	44-2225012770009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए	0.00	0.10	0.10	छुआछूत की प्रथा समाप्त करने पर राशि का व्यय किया जाना है ।
8	44-2225012770011	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	0.00	1,080.00	1,080.00	1 हजार अनु० जाति/जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना है ।
9	44-2225012770012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र	0.00	261.81	261.81	संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण कोचिंग दिया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	44-2225022770001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	0.00	14.00	14.00	मेडिकल/अभियंत्रण/कृषि महाविद्यालयों में पुस्तक अधिकोष की स्थापना, परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति पर व्यय किया जाना है।
11	44-2225022770013	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों के कल्याण के निमित्त विशेष योजनाएं	0.00	9.80	9.80	मुंगेर, जमुई एवं लखीसराय में अनु० जनजाति के खड़िया वि० की स्थापना पर व्यय किया जाना है।
12	44-2225022820001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केंद्रों का	0.00	143.74	143.74	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों में अंतःवासी रोगियों को चिकित्सा सहायता दिया जाना है।
13	44-2070000010106	राज्य स्कीम	अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.00	50.00	50.00	अनु०जाति एवं अनु०जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास पर व्यय किया जाना है।
14	44-2225010010101	राज्य स्कीम	निदेशन और प्रशासन	0.00	50.00	50.00	कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाना है।
15	44-2225011020101	राज्य स्कीम	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अं	0.00	50.00	50.00	लगभग 1 लाख अनु०जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।
16	44-2225011020115	राज्य स्कीम	महादलित विकास हेतु	0.00	27,530.00	27,530.00	महादलित परिवारों के उत्थान पर व्यय किया जाना है तथा विकास मित्र को साईकिल, महादलित को प्रशिक्षण दिया जाना है।
17	44-2225011020316	राज्य स्कीम	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई)	0.00	5.00	5.00	गया जिला में 50 प्रतिशत से उपर अनु० जाति जनसंख्या वाले 225 गाँव को आदर्श ग्राम बनाने के कार्यक्रम पर व्यय किया जाना है।
18	44-2225011980101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	14,391.00	14,391.00	51 लाख 20 हजार प्री-मैट्रिक एवं प्रवेशिकोत्तर स्तर के अनु० जाति के छात्र/छात्राओं को वर्ग 1 से 4 तक 50/- प्रतिमाह, वर्ग 5 से 6 तक 100/- प्रतिमाह एवं वर्ग 7 से 10 तक 150/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दिया जाना है।
	44-2225012770107	राज्य स्कीम	शिक्षा	0.00	13,491.00	13,491.00	
	44-2225012770219	राज्य स्कीम	प्रोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	6,000.00	0.00	6,000.00	
	44-2225012770319	राज्य स्कीम	प्रोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	6,000.00	6,000.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	44-2225012770221	राज्य स्कीम	नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु०	1,220.00	0.00	1,220.00	लगभग 4 हजार अनु० जाति के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिया जाना है ।
	44-2225012770321	राज्य स्कीम	नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु०	0.00	1,220.00	1,220.00	
20	44-2225012770222	राज्य स्कीम	अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	4,910.00	0.00	4,910.00	16 हजार पॉच सौ अनु०जाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विधालय समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने पर 10000/- रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाना है।
21	44-2225021020201	राज्य स्कीम	अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	1,800.00	0.00	1,800.00	आधारभूत संरचना विकास के लिए राशि उपलब्ध कराया जाना है ।
22	44-2225021020202	राज्य स्कीम	अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1,800.00	0.00	1,800.00	अनु०जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए राशि उपलब्ध कराया जाना है।
23	44-2225021970101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	2,238.00	2,238.00	4 लाख 20 हजार प्री-मैट्रिक एवं प्रवेशिकोत्तर स्तर के अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को वर्ग 1 से 4 तक 50/- प्रति माह, वर्ग 5 से 6 तक 100/- प्रति माह एवं वर्ग 7 से 10 तक 150/प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दिया जाना है ।
	44-2225021980101	राज्य स्कीम	छात्रवृत्ति/वजीफा	0.00	6,717.12	6,717.12	
24	44-2225022770101	राज्य स्कीम	शिक्षा	0.00	3,705.00	3,705.00	8 हजार अनु०जाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने पर 10000/- रुपया प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि दिया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	44-2225022770214	राज्य स्कीम	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम	1,015.00	0.00	1,015.00	1300 अनु० जनजाति के छात्रों को बिहार विद्यालय समिति के 10+2 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने पर 15000/- रूपया प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि दिया जाना है ।
26	44-2225027960125	राज्य स्कीम	थरुहट क्षेत्र विकास	0.00	2,761.00	2,761.00	थरुहट विकास के अन्तर्गत शिक्षा, सिंचाई, पेयजल, कला प्रक्षेत्र, युवा विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि पर व्यय किया जाना है ।
27	44-4425001080164	राज्य स्कीम	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	0.00	400.00	400.00	अजाविनि को सहायता दिया जाना है ।
28	44-2225027960427	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	वनबन्धु कल्याण योजना	10.00	0.00	10.00	अनु०जनजातियों के बहुमुखी विकास हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
योग				16,755.00	98,409.24	1,15,164.24	

**परिणाम बजट
2017-2018**

गन्ना उद्योग विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45-2401001080109	राज्य स्कीम	ईख विकास	0.00	1,978.95	1,978.95	मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम, गन्ना किसानों को चयनित प्रभेदों के गन्ना बीज का अनुदानित दर पर वितरण, आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम, समेकित जैव उर्वरक कार्यक्रम, कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार इत्यादि एवं ईख विकास योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं प्रचार-प्रसार पर राशि व्यय किया जाना है।
	45-2401007890108	राज्य स्कीम	ईख विकास	0.00	381.48	381.48	
	45-2401007960129	राज्य स्कीम	ईख विकास	0.00	23.84	23.84	
2	45-2852082010103	राज्य स्कीम	आर्थिक सहायता	0.00	6,474.00	6,474.00	पेराई सत्र 2015-16 के लिए स्वीकृत ईख मूल्य अनुदान की शेष आवश्यक राशि, वित्तीय वर्ष 2014-15 के बकाये ईख मूल्य भुगतान हेतु मिलों द्वारा लिये गये 190.08 करोड़ रुपये ऋण पर सरकार के स्तर से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भुगतेय शुद्ध राशि का भुगतान एवं राज्य में प्रोत्साहन पैकेज के रूप में चीनी मिलों के डिस्टीलरियों की स्थापना क्षमता विस्तार इथेनॉल उत्पादन एवं विद्युत इकाई की स्थापना के भुगतान पर व्यय किया जाना है।
	45-2852087890101	राज्य स्कीम	आर्थिक सहायता	0.00	1,248.00	1,248.00	
	45-2852087960102	राज्य स्कीम	आर्थिक सहायता (गन्ना उद्योग विभाग)	0.00	78.00	78.00	
योग				0.00	10,184.27	10,184.27	

**परिणाम बजट
2017-2018**

पर्यटन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	46-3452011900102	राज्य स्कीम	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	0.00	123.19	123.19	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को विभिन्न मदों में कार्य के भुगतान हेतु राशि सहायता अनुदान के रूप में दिया जाना है।
2	46-3452011900103	राज्य स्कीम	होटल प्रबंधन संस्थान, बोध गया	0.00	30.85	30.85	आई०एच०एम०, बोधगया के संचालन हेतु पठन/पाठन सामग्रियों/उपकरणों का क्रय, गाइडों, पर्यटन कर्मियों एवं विभिन्न ट्रेबल ट्रेड से जुड़े लोगो को प्रशिक्षण तथा आई०एच०एम०, बोधगया से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वेतन भुगतान हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
3	46-3452800030101	राज्य स्कीम	बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	100.00	100.00	बिहार मानव कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021 तक कुल दो लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
4	46-3452801040103	राज्य स्कीम	पर्यटकीय विकास	0.00	1,700.00	1,700.00	बिहार राज्य में अवस्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं विभिन्न महोत्सवों के व्यापक प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुद्रित ब्रोशर, सी०डी० आदि के माध्यम से करने हेतु राशि का व्यय किया जाना है। बिहार के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को विभाग के चयनित वास्तुविद् द्वारा तैयार किये जाते हैं, तथा पंचवर्षीय रोडमैप का निर्माण कराये जाने के एवज में कन्सलटेंसी फी के भुगतान हेतु राशि का व्यय किया जाना है।
5	46-5452011010104	राज्य स्कीम	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	0.00	7,147.17	7,147.17	महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक एवं विभिन्न परिपथों से जुड़े स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया जाना है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में, हांडी साहब गुरुद्वारा, पटना, सिख रिसर्च सेन्टर फेज-2, पटना, राजगीर रोप-वे, रोहतासगढ़ किला पर रोप-वे, मुडेश्वरी पर्वत पर रोप-वे, डुंगेश्वरी, ब्रह्म्योणी एवं प्रेतशीला पर्वत पर रोप-वे, वाणावर रोप-वे, जहानाबाद, ककोलत जल प्रपात का विकास तथा हूवेनसांग मेमोरियल हॉल के पास सांस्कृतिक ग्राम हेतु भू-अर्जन, मुचल्लिंद सरोवर बोधगया के पास भू-अर्जन आदि अनेकों परियोजनाओं पर व्यय किया जाना है।
योग				0.00	9,101.21	9,101.21	

**परिणाम बजट
2017-2018**

परिवहन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	47-5055000510101	राज्य स्कीम	जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण	0.00	800.00	800.00	आई०डी०ए० द्वारा 13 जिलों में जिला परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसमें से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, बेतिया, नालंदा, सुपौल, छपरा, बांका, रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी एवं मोतिहारी में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि गोपालगंज में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। शेष कार्य पर राशि व्यय किया जाना है।
2	47-5055000510102	राज्य स्कीम	ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट	0.00	300.00	300.00	आई०डी०ए० द्वारा औरंगाबाद में चालक प्रशिक्षण-सह-यातायात शोध संस्थान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य पर राशि व्यय किया जाना है।
योग				0.00	1,100.00	1,100.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	48-2015001090001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर	0.00	4,000.00	4,000.00	राज्य के 140 नगर निकायों में आम चुनाव/उप चुनाव के लिए राशि दी जानी है।
2	48-2215011010007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बिहार राज्य जल परिषद्	0.00	3,900.00	3,900.00	बिहार राज्य जल परिषद् के कर्मियों का वेतनादि पर एवं पम्पिंग प्लान्ट आदि का अनुरक्षण तथा विद्युत विपत्र के भुगतान पर व्यय किया जाना है।
3	48-2217010530001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	0.00	500.00	500.00	बुद्ध स्मृति पार्क एवं पटना के अन्य पार्कों का विकास एवं रख-रखाव तथा विद्युत विपत्र के भुगतान पर राशि व्यय किया जाना है।
4	48-2217031920013	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	0.00	392.58	392.58	राज्य के 42 नगर परिषदों एवं 88 नगर पंचायतों में स्थापना पर व्यय किया जाना है।
	48-2217031930012	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	0.00	751.99	751.99	
5	48-2217800010002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर और प्रादेशिक आयोजन की स्थापना	0.00	182.06	182.06	मुख्यालय स्थित नगर निवेशन संगठन के स्थाई कर्मियों का वेतनादि भुगतान किया जाना है।
6	48-2217800010004	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर पालिका भवन न्याधिकरण	0.00	53.26	53.26	बिहार नगरपालिका भवन नयायाधिकरण के दो माननीय न्यायाधीशों का वेतनादि एवं अन्य कर्मियों का मानदेय भुगतान किया जाना है।
7	48-2217801910010	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर	0.00	21,238.81	21,238.81	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के 140 नगर निकायों को बुनियादी कार्यों के निष्पादन हेतु सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	48-2217801920001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों	0.00	17,641.53	17,641.53	
	48-2217801930001	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	वित्त आयोग की अनुशंसा के	0.00	14,087.66	14,087.66	
8	48-2217801910013	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा	0.00	37,158.71	37,158.71	राज्य के 140 नगर निकायों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतनादि/पेशन, मुख्यमंत्री निश्चय योजना यथा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना मद में व्यय करने हेतु सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जानी है।
	48-2217801920005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के	0.00	30,865.03	30,865.03	
	48-2217801930005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर	0.00	24,647.30	24,647.30	

**परिणाम बजट
2017-2018**

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	48-2217801910015	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर प्रबंधकों हेतु	0.00	39.60	39.60	राज्य के विभिन्न नगर निकायों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों को मानदेय का भुगतान किया जाना है।
	48-2217801920008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर प्रबंधकों हेतु	0.00	60.00	60.00	
	48-2217801930007	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर प्रबंधकों हेतु	0.00	158.40	158.40	
10	48-2217801910016	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेशाकर के आलोक में अनुदान	0.00	1,583.69	1,583.69	राज्य के 140 नगर निकायों को पेशाकर मद में वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि दी जानी है।
	48-2217801920009	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेशाकर के आलोक में अनुदान	0.00	1,252.16	1,252.16	
	48-2217801930008	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	पेशाकर के आलोक में अनुदान	0.00	902.74	902.74	
11	48-2251000900005	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	नगर विकास एवं आवास विभाग	0.00	624.63	624.63	स्थापना व्यय किया जाना है।
12	48-2215011910101	राज्य स्कीम	पेय जलापूर्ति के लिए स्थान	0.00	5,000.00	5,000.00	राज्य के 11 नगर निगमों, 42 नगर परिषदों एवं 88 नगर पंचायतों के निवासियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।
	48-2215011920101	राज्य स्कीम	पेय जलापूर्ति के लिए नगर	0.00	3,500.00	3,500.00	
	48-2215011930101	राज्य स्कीम	पेय जलापूर्ति के लिए नगर प	0.00	3,500.00	3,500.00	
	48-2215017890101	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों	0.00	4,900.00	4,900.00	
	48-2215017890102	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	0.00	2,800.00	2,800.00	
	48-2215017890103	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	0.00	2,800.00	2,800.00	
	48-2215017960102	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों	0.00	100.00	100.00	
	48-2215017960103	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	0.00	200.00	200.00	
	48-2215017960104	राज्य स्कीम	पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	0.00	200.00	200.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	48-2215021060302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन०आर०सी०पी०)	0.00	6,000.00	6,000.00	पटना शहर के बेउर एवं करमलीचक में सिवरेज तथा एस०टी०पी० का निर्माण किया जाना है।
	48-2215027890303	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन०आर०सी०पी०)	0.00	6,000.00	6,000.00	
	48-2215027960305	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन०आर०सी०पी०)	0.00	1,000.00	1,000.00	
14	48-2215021910102	राज्य स्कीम	नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	2,000.00	2,000.00	राज्य के 11 नगर निगमों, 42 नगर परिषदों एवं 88 नगर पंचायतों में जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराया जाना है।
	48-2215021920102	राज्य स्कीम	नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	3,000.00	3,000.00	
	48-2215021930102	राज्य स्कीम	नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	2,110.00	2,110.00	
	48-2215027890101	राज्य स्कीम	नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय	0.00	1,500.00	1,500.00	
15	48-2217011910106	राज्य स्कीम	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	24.00	24.00	संबंधित नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता का भुगतान किया जाना है।
	48-2217031910102	राज्य स्कीम	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	165.00	165.00	
	48-2217031920102	राज्य स्कीम	नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	0.00	325.00	325.00	
	48-2217031930102	राज्य स्कीम	नगर पंचायतों के निर्वाचित	0.00	286.00	286.00	
16	48-2217011910109	राज्य स्कीम	नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान	0.00	2,064.00	2,064.00	सभी संबंधित नगर निकायों में नागरिक सुविधाएँ बहाल करने यथा पार्क, घाट, जलाशय, पोखर, लाईट इत्यादि का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाना है, साथ ही मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान की राशि दी जानी है।
	48-2217011910116	राज्य स्कीम	नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें	0.00	4,146.00	4,146.00	
	48-2217031920105	राज्य स्कीम	नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान	0.00	4,920.00	4,920.00	
	48-2217031930104	राज्य स्कीम	नगर क्षेत्र में नागरिक	0.00	4,770.00	4,770.00	

परिणाम बजट
2017-2018

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	48-2217011910110	राज्य स्कीम	शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से	0.00	100.00	100.00	राज्य के प्रमुख शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाना है।
	48-2217031920106	राज्य स्कीम	शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित	0.00	100.00	100.00	
	48-2217031930105	राज्य स्कीम	शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित	0.00	100.00	100.00	
	48-2217050010107	राज्य स्कीम	शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्र	0.00	200.00	200.00	
18	48-2217011910115	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों	0.00	2,300.00	2,300.00	पटना नगर निगम क्षेत्र में पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार किया जाना है।
	48-2217017890102	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय	0.00	2,300.00	2,300.00	
19	48-2217011910122	राज्य स्कीम	आवारा कुत्तों के जनसंख्या नियंत्रण हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण	0.00	300.00	300.00	पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बेउर में आवारा कुत्तों के जनसंख्या नियंत्रण हेतु नसबंदी अस्पताल का निर्माण कराया जाना है ।

परिणाम बजट
2017-2018

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	48-2217011910218	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी)	6,890.00	0.00	6,890.00	राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 27 नगर निकायों यथा- नगर निगम, पटना, बिहारशरीफ, आरा, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ, दरभंगा, नगर परिषद्- दानापुर, जहानाबाद, सासाराम, हाजीपुर, बेतिया, बगहा, डेहरी डालमिया नगर, औरंगाबाद, मोतिहारी, सहरसा, किशनगंज, सिवान, छपरा, बक्सर एवं जमालपुर तथा नगर पंचायत- बोधगया में जलापूर्ति, हरित पार्क, सिवरेज इत्यादि का निर्माण कराया जाना है।
	48-2217011910318	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी)	0.00	3,410.00	3,410.00	
	48-2217031910209	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी)	16,000.00	0.00	16,000.00	
	48-2217031910309	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी)	0.00	9,100.00	9,100.00	
	48-2217031920211	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी)	16,000.00	0.00	16,000.00	
	48-2217031920311	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी)	0.00	9,100.00	9,100.00	
	48-2217031930211	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी)	1,800.00	0.00	1,800.00	
	48-2217031930311	राज्य स्कीम	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी)	0.00	1,004.00	1,004.00	

परिणाम बजट
2017-2018

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	48-2217011910219	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	6,300.00	0.00	6,300.00	राज्य के सभी शहरी क्षेत्र में आवासित आवास विहीन प्रत्येक परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना है।
	48-2217011910319	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	2,587.94	2,587.94	
	48-2217011920201	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	14,000.00	0.00	14,000.00	
	48-2217011920301	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	2,300.00	2,300.00	
	48-2217017890205	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	2,400.00	0.00	2,400.00	
	48-2217017890305	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	894.07	894.07	
	48-2217017960201	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	150.00	0.00	150.00	
	48-2217017960301	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	55.88	55.88	
	48-2217031910211	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	3,000.00	0.00	3,000.00	
	48-2217031910311	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	2,300.00	2,300.00	
	48-2217031920212	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	3,000.00	0.00	3,000.00	
	48-2217031920312	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	2,088.07	2,088.07	
	48-2217037890205	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	2,400.00	0.00	2,400.00	
	48-2217037890305	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	894.08	894.08	
	48-2217037960203	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	150.00	0.00	150.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
	48-2217037960303	राज्य स्कीम	सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	55.88	55.88	राज्य के सभी शहरी क्षेत्र में आवासित आवास विहीन प्रत्येक परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना है।
22	48-2217011910220	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन	7,000.00	0.00	7,000.00	राज्य के सभी शहरी निकायों में शौचालय विहीन प्रत्येक परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण तथा कचड़ा प्रबंधन पर राशि का व्यय किया जाना है।
	48-2217011910320	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन	0.00	8,000.00	8,000.00	
	48-2217031910212	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन	7,000.00	0.00	7,000.00	
	48-2217031910312	राज्य स्कीम	स्वच्छ भारत मिशन	0.00	8,000.00	8,000.00	
23	48-2217031910113	राज्य स्कीम	भू अर्जन	0.00	500.00	500.00	पटना नगर निगम सहित अन्य नगर निकायों द्वारा किए गए/किए जाने वाले भू-अर्जन हेतु राशि दी जानी है।
24	48-2217031910210	राज्य स्कीम	100 स्मार्ट सिटी मिशन योजना	10,000.00	0.00	10,000.00	भागलपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है।
	48-2217031910310	राज्य स्कीम	100 स्मार्ट सिटी मिशन योजना	0.00	6,000.00	6,000.00	
25	48-2217031920101	राज्य स्कीम	नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी	0.00	250.00	250.00	राज्य के नवसृजित नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन का निर्माण कराया जाना है।
	48-2217031930101	राज्य स्कीम	नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी	0.00	500.00	500.00	
26	48-2217031930103	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय	0.00	12,536.53	12,536.53	पटना नगर निगम को छोड़कर राज्य के 139 अन्य नगर निकायों में पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार किया जाना है।
	48-2217037890102	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय	0.00	13,265.62	13,265.62	
	48-2217037960101	राज्य स्कीम	परिवहन के लिए शहरी स्थानीय	0.00	597.85	597.85	
27	48-2217050010102	राज्य स्कीम	योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं	0.00	200.07	200.07	संबंधित नगर निकायों का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना पर व्यय किया जाना है।
28	48-2217050010103	राज्य स्कीम	क्षमता वर्द्धन कार्यक्रमों हेतु	0.00	50.00	50.00	कर्मियों के कार्यकुशलता को बढ़ाने पर व्यय किया जाना है।
29	48-2217050010104	राज्य स्कीम	निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण हेतु	0.00	200.00	200.00	निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण कराया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	48-2217050010105	राज्य स्कीम	अभियंत्रण कौषांग हेतु	0.00	700.00	700.00	अभियंत्रण कौषांग के अभियंताओं का वेतनादि का भुगतान किया जाना है।
31	48-2217800010501	राज्य स्कीम	बिहार नगरीय विकास परियोजना- बाह्य संपोषित	0.00	3,571.00	3,571.00	गया एवं भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाना है ।
32	48-3475001080202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	11,205.00	0.00	11,205.00	बिहार के सभी नगर निकायों में बी०पी०एल० परिवारों के युवक/युवतियों का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर राशि का व्यय किया जाना है।
	48-3475001080302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	7,470.00	7,470.00	
	48-3475007890202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	2,160.00	0.00	2,160.00	
	48-3475007890302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	1,440.00	1,440.00	
	48-3475007960202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	135.00	0.00	135.00	
	48-3475007960302	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0.00	90.00	90.00	
योग				1,09,590.00	3,23,911.14	4,33,501.14	

**परिणाम बजट
2017-2018**

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	49-2705000010204	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	6,988.00	0.00	6,988.00	कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 35.274 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र सिंचाई नाली का निर्माण एवं 2.367 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई का कार्य कराया जाना है, इसके अतिरिक्त कृषक प्रशिक्षण, फसल प्रत्यक्षण आदि का कार्य भी कराया जाना है।
	49-2705000010304	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	9,500.00	9,500.00	
2	49-2711010010506	राज्य स्कीम	बाढ़ प्रबंधन क्षमता सुदृढ़ीकरण योजना (एस०ए०डब्लू०आई० ट्रस्ट फण्ड-वाह्य सम्पोजित)	0.00	75.00	75.00	बागमती अधवारा बेसिन के लिए कस्टोमाइज इन्सेम्बल रैनफॉल एवं इन्सेम्बल रैनफॉल फॉरकास्ट हेतु मेट्रोलाजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जाना, बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल को बेहतर बनाना, बाढ़ प्रबंधन क्षमता निर्माण हेतु वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण आदि पर व्यय किया जाना है।
3	49-4700800050101	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण और खाज (स्थापना)	0.00	40.00	40.00	सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य किया जाना है।
4	49-4700800510102	राज्य स्कीम	नदी बेसीनों को जोड़ने की योजना	0.00	500.00	500.00	नदी बेसिनो को जोड़ने की योजना एवं अन्य योजना के लिए विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) की तैयारी तथा सिंचाई शोध संस्थान खगोल के नये भवन एवं प्रयोगशाला का निर्माण कार्यकिया जाना है।
5	49-4700800510104	राज्य स्कीम	सिंचाई सृजन परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोजित योजना)	0.00	9,075.00	9,075.00	धौंस नदी पर बलवा बराज से 6.60 हजार हेक्टेयर, चानकेन सिंचाई योजना से 10.251 हजार हेक्टेयर, मुहाने नदी पर सिवान वीयर से 2.36 हजार हेक्टेयर एवं मंडई वीयर योजना से 3.75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है तथा चौसा पंप नहर योजना से 5.342 हजार हेक्टेयर, सुअरा वीयर योजना से 0.80 हजार हेक्टेयर एवं चन्दन जलाशय योजना से 2.22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हसित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	49-4700800510105	राज्य स्कीम	सिंचाई सृजन परियोजनायें (कार्य)	0.00	10,276.17	10,276.17	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली से 108.00 हजार, पूर्वी गंडक नहर प्रणाली फेज-II से 10.00 हजार विहुल नदी पर बीयर निर्माण कार्य से 1.70 हजार, कुण्ड घाट जलाशय योजना से 2.035 हजार, मुंरि जिलान्तर्गत पहाड़ियों से निःसृत झरनो, जलश्रोतो पर आधारित सिंचाई योजना से 3.733 हजार, चेक डैम से 2.15 हजार एवं कुन्दर बराज योजना से 7.826 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है।
7	49-4700800510206	राज्य स्कीम	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	15,588.00	0.00	15,588.00	पुनपुन बराज योजना से 6.00 हजार हेक्टेयर एवं बटेश्वरस्थान पंप नहर परियोजना से 4.00 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है ।
8	49-4700800510207	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	79,503.30	0.00	79,503.30	दुर्गावती जलाशय योजना से 15.40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है।
	49-4700800510309	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	3,833.00	3,833.00	
9	49-4700800510308	राज्य स्कीम	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	4,000.00	4,000.00	पुनपुन बराज योजना से 6.00 हजार हेक्टेयर एवं बटेश्वरस्थान पंप नहर परियोजना से 4.00 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है ।
10	49-4700807890102	राज्य स्कीम	सिंचाई सृजन परियोजनायें	0.00	30,346.79	30,346.79	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य से 107.00 हजार गोइसरा वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य से 1.518 हजार परहुती वितरणी का पुनर्स्थापन कार्य से 3.35 हजार एवं दरियापुर वियर योजना से 10.78 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्यसित सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगा। इसके अलावा मलाई बराज, बरनार जलाशय आदि का शेष कार्य कराया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	49-4711010510110	राज्य स्कीम	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य)	0.00	10,000.00	10,000.00	246 अद्द कटाव निरोधक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं बाढ़ संघर्षात्मक, तटबंध, लघु बांधों की मरम्मती आदि का कार्य किया जाना है।
	49-4711017890104	राज्य स्कीम	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य)	0.00	15,000.00	15,000.00	
	49-4711017960101	राज्य स्कीम	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य)	0.00	2,834.17	2,834.17	
12	49-4711010510111	राज्य स्कीम	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	0.00	3,191.00	3,191.00	9 अद्द तटबंध सड़क योजनाओं का क्रियान्वयन कर 157.39 किलोमीटर नई सड़क बनाने पर व्यय किया जाना है।
13	49-4711010510209	राज्य स्कीम	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	60,000.00	0.00	60,000.00	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 4 योजनाओं का क्रियान्वयन कर 42.00 किलोमीटर नए तटबंध बनाने पर व्यय किया जाना है।
	49-4711010510309	राज्य स्कीम	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	0.00	22,667.00	22,667.00	
14	49-4711010510408	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक योजना	12,500.00	0.00	12,500.00	नेपाल भू-भाग में 14 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।
योग				1,74,579.30	1,21,338.13	2,95,917.43	

**परिणाम बजट
2017-2018**

लघु जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50-2702020050101	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण और जांच	0.00	830.00	830.00	राज्य के हर जिले एवं प्रखण्ड में भूगर्भ जल सर्वेक्षण एवं अन्वेषण सिस्टम की स्थापना पर व्यय किया जाना है ।
	50-2702027890102	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण और जांच	0.00	160.00	160.00	
	50-2702027960102	राज्य स्कीम	सर्वेक्षण एवं जांच	0.00	10.00	10.00	
2	50-2702020160101	राज्य स्कीम	बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.00	83.00	83.00	12542 अदद् निजी नलकूपों की स्थापना कर 35,118 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है ।
	50-2702027890101	राज्य स्कीम	बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.00	16.00	16.00	
	50-2702027960105	राज्य स्कीम	बिहार शताब्दी निजी नल कूप योजना	0.00	1.00	1.00	
3	50-2702031030104	राज्य स्कीम	निजी नलकूप	0.00	6,640.00	6,640.00	219 अदद् पुराने राजकीय नलकूपों का पुनर्स्थापन कर 15544 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन पर व्यय किया जाना है।
4	50-2702037890101	राज्य स्कीम	निजी नलकूप	0.00	1,280.00	1,280.00	219 अदद् पुराने राजकीय नलकूपों का पुनर्स्थापन कर 15544 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन पर व्यय किया जाना है ।
	50-2702037960101	राज्य स्कीम	निजी नलकूप	0.00	80.00	80.00	
5	50-4702001010101	राज्य स्कीम	लघु सिंचाई	0.00	9,668.16	9,668.16	105 अदद् पुरानी सतही सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कर 38,560 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है तथा 15 नये कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना है ।
	50-4702007890101	राज्य स्कीम	लघु सिंचाई योजना	0.00	1,864.10	1,864.10	
	50-4702007960103	राज्य स्कीम	लघु सिंचाई	0.00	117.02	117.02	
6	50-4702001010205	राज्य स्कीम	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(पी एम के एस वाई)	3,550.18	0.00	3,550.18	47 अदद् सतही सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ, इससे 21075 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है।
	50-4702001010305	राज्य स्कीम	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(पी एम के एस वाई)	0.00	2,366.87	2,366.87	
	50-4702007890205	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	684.37	0.00	684.37	
	50-4702007890305	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	0.00	456.16	456.16	
	50-4702007960206	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	42.77	0.00	42.77	
	50-4702007960306	राज्य स्कीम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	0.00	28.51	28.51	

**परिणाम बजट
2017-2018**

लघु जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	50-4702001020101	राज्य स्कीम	नलकूप योजनाओं के अधूरे	0.00	830.00	830.00	आर०आई०डी०एफ० के अन्तर्गत 334 अदद् राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कार्य कर 18563 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन पर व्यय किया जाना है ।
	50-4702007890103	राज्य स्कीम	नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	160.00	160.00	
	50-4702007960104	राज्य स्कीम	नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	10.00	10.00	
8	50-4702001020102	राज्य स्कीम	नई/अधूरी मध्यम सिंचाई	0.00	8,842.00	8,842.00	58 अदद् पुरानी सतही एवं उद्ववह सिंचाई योजनाओं का पुर्नउद्धार कर 22176 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुर्नस्थापन एवं 56 अदद् नई सतही सिंचाई योजना का कार्य किया जाना है ।
	50-4702007890104	राज्य स्कीम	नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	1,704.00	1,704.00	
	50-4702007960105	राज्य स्कीम	नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.00	106.00	106.00	
योग				4,277.32	35,252.82	39,530.14	

**परिणाम बजट
2017-2018**

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51-2235028000002	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	अन्तर्जातीय विवाह	0.00	700.00	700.00	700 वधुओं को 100000 रुपये प्रति वधू की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जानी है।
2	51-2210061010113	राज्य स्कीम	बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	0.00	1.00	1.00	एड्स पीड़ितों को सहायता दिया जाना है।
3	51-2235021010106	राज्य स्कीम	निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	0.00	1.00	1.00	राज्य को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना तथा निराश्रित वृद्धों का पुनर्वास करायी जाना है ।
4	51-2235021010111	राज्य स्कीम	विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का	0.00	1.00	1.00	विभिन्न संस्थाओं के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण करायी जाना है ।
5	51-2235021010119	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	0.00	225.00	225.00	विकलांगों के निमित्त सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी है ।
	51-2235027890111	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	0.00	75.00	75.00	
6	51-2235021010121	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	0.00	1.00	1.00	निःशक्तजनों को विवाह के प्रोत्साहन हेतु अनुदान दिया जाना है।
7	51-2235021020105	राज्य स्कीम	समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत मैनेजमेंट इनफोर	0.00	900.00	900.00	निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना, सॉफ्टवेयर, सर्वर कार्य एवं 38 जि० प्र० कार्या० तथा 544 बा० वि० परि० कार्या० में एम. आई.एस. कार्य, डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का पारिश्रमिक भुगतान आदि पर व्यय किया जाना है।
8	51-2235021020116	राज्य स्कीम	परवरिश	0.00	150.00	150.00	इस योजना अंतर्गत 1302 बालक/बालिकाएँ को लाभान्वित किया जाना है ।
9	51-2235021020117	राज्य स्कीम	आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के	0.00	7,503.00	7,503.00	स्वीकृत 91677 आंगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहें 3-6 वर्ष आयु के कुल 3558280 बच्चों तथा भारत सरकार से नव स्वीकृत 23041 आंगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहें 3-6 वर्ष आयु के 888140 बच्चों को रु.250/- वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि दिया जाना है।
	51-2235027890103	राज्य स्कीम	आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों	0.00	2,500.94	2,500.94	
10	51-2235021020222	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	71,563.25	0.00	71,563.25	राज्य स्तर पर आई.सी.डी. एस. निदेशालय / जिला स्तर पर 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं प्रखंड स्तर पर 544 बाल विकास परियोजना की स्थापना एवं अन्य, प्रशिक्षण मद तथा आई.एस.एस.एन.आई.पी. योजना सहित का संधारण किया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	51-2235021020223	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	4,200.00	0.00	4,200.00	स्थापना व्यय किया जाना है ।
	51-2235021020323	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	0.00	2,800.00	2,800.00	
	51-2235021030110	राज्य स्कीम	नारी शक्ति योजना	0.00	100.00	100.00	
	51-2235021030220	राज्य स्कीम	महिला हेल्प लाईन	1,000.00	0.00	1,000.00	
	51-2235021060106	राज्य स्कीम	बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के	0.00	400.00	400.00	
	51-2235021060107	राज्य स्कीम	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	0.00	10.00	10.00	
	51-2235027890108	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	0.00	75.00	75.00	
12	51-2235021020224	राज्य स्कीम	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	154.01	0.00	154.01	12 जिलों के 20.00 लाख किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार के अतिरिक्त व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर शारीरिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध करना है।
	51-2235021020324	राज्य स्कीम	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	0.00	3,827.01	3,827.01	
	51-2235027890312	राज्य स्कीम	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	0.00	1,275.66	1,275.66	
13	51-2235021020322	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	0.00	51,586.17	51,586.17	राज्य स्तर पर आई.सी.डी. एस. निदेशालय / जिला स्तर पर 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं प्रखंड स्तर पर 544 बाल विकास परियोजना की स्थापना एवं अन्य, प्रशिक्षण मद तथा आई०एस०एस०एन०आई०पी० योजना सहित का संधारण किया जाना है ।
14	51-2235021030105	राज्य स्कीम	महिला विकास निगम सहायक अनुदान	0.00	50.00	50.00	महिला विकास निगम सहायक अनुदान दिया जाना है ।
15	51-2235021030109	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	0.00	711.57	711.57	इस योजना अंतर्गत 114089 कन्याओं को लाभान्वित किया जाना है ।
16	51-2235021030111	राज्य स्कीम	कन्या सुरक्षा योजना	0.00	50.00	50.00	कन्या सुरक्षा योजना अंतर्गत 2450 कन्याओं को लाभान्वित किया जाना है ।
	51-2235027890109	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	0.00	50.00	50.00	

**परिणाम बजट
2017-2018**

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	51-2235021030219	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	5,153.46	0.00	5,153.46	राज्य के दो जिलो-यथा सहरसा एवं वैशाली में 1.32 लाख गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को मातृत्व अनुदान प्रदान करना है एवं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के कार्यकलापों के सफल संचालन हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना है।
	51-2235021030319	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	2,576.73	2,576.73	
	51-2235027890313	राज्य स्कीम	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	858.91	858.91	
18	51-2235021040106	राज्य स्कीम	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	0.00	200.00	200.00	7000 कुष्ठ रोगी को उनके भरण पोषण हेतु 1500/- रु० प्रतिमाह प्रतिरोगी अनुदान दिया जाना है।
19	51-2235021040107	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	0.00	20.00	20.00	राज्य को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना तथा निराश्रित वृद्धों का पुनर्वास कराया जाना है ।
20	51-2235022000103	राज्य स्कीम	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	0.00	300.00	300.00	13,333 गरीब परिवार के मृतकों को अन्त्येष्टि क्रिया हेतु 3000/- रु० प्रति मृतक का अनुदान दिया जाना है।
	51-2235027890104	राज्य स्कीम	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	0.00	100.00	100.00	
21	51-2235022000105	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	0.00	60.00	60.00	300 मामलों में दुर्घटना या अपराधिक घटना में मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित/निकटस्थ संबंधी को रु० 20,000/- रुपये प्रति लाभार्थी एकमुश्त सहायता अनुदान दिया जाना है।
22	51-2235022000106	राज्य स्कीम	प्रदर्शनी सेमिनार, सम्मेलन	0.00	1.00	1.00	प्रदर्शनी सेमिनार, सम्मेलन कराया जाना है ।
23	51-2235027890107	राज्य स्कीम	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	0.00	250.00	250.00	इस योजना अंतर्गत 4950 कन्याओं को लाभान्वित किया जाना है ।
24	51-2235027960123	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	0.00	307.10	307.10	इस योजना अंतर्गत 6080 कन्याओं को लाभान्वित किया जाना है ।

**परिणाम बजट
2017-2018**

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	51-2235031010204	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	1,06,613.07	0.00	1,06,613.07	42.79 लाख वृद्ध, 5.41 लाख विधवा तथा 1.06 लाख निःशक्त व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 36 हजार कमाउ व्यक्ति के अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त रू० 20,000/- रुपये प्रति लाभार्थी की सहायता अनुदान दिया जाना है।
	51-2235031010304	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	0.00	24,000.00	24,000.00	
	51-2235031020202	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	7,200.00	0.00	7,200.00	
	51-2235037890205	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	46,313.96	0.00	46,313.96	
	51-2235037890305	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	0.00	11,500.00	11,500.00	
	51-2235037960201	राज्य स्कीम	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	5,612.97	0.00	5,612.97	
26	51-2235601020101	राज्य स्कीम	वृद्धावस्था पेंशन	0.00	3,150.00	3,150.00	0.75 लाख वृद्ध को 400/- रु० प्रतिमाह प्रति लाभार्थी पेंशन दिया जाना है।
	51-2235607890104	राज्य स्कीम	राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	0.00	1,095.00	1,095.00	
27	51-2235601020104	राज्य स्कीम	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	9,200.00	9,200.00	40 प्रतिशत विकलांगता वाले 6.32 लाख निःशक्त व्यक्ति को 400/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिया जाना है।
	51-2235607890103	राज्य स्कीम	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	3,400.00	3,400.00	
28	51-2235601020105	राज्य स्कीम	लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	8,125.00	8,125.00	5.37 लाख विधवा को 400/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिया जाना है।
	51-2235607890102	राज्य स्कीम	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	3,475.00	3,475.00	
29	51-2235602000119	राज्य स्कीम	मुख्यमंत्री तेजाब पीड़ित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.00	1.00	1.00	तेजाब पीड़ित व्यक्ति को रू० 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाना है।

**परिणाम बजट
2017-2018**

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड	स्कीम/स्था० एवं प्र० व्यय	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (B.E.) 2017-2018 (राशि लाख रुपये में)			परिणाम
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	51-2236021010203	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	70,691.50	0.00	70,691.50	राज्य में पूर्व स्वीकृत 91677 ऑगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 7116560 बच्चों एवं 1779140 गर्भवति/शिशुवती महिलाओं कुल मिलाकर 8895700 लाभार्थियों को तथा नवस्वीकृत 23041 ऑगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 1776280 बच्चों एवं 444070 गर्भवती/शिशुवती महिलाओं कुल 2220350 लाभार्थियों को कुपोषण से बचाने के लिए पूरक पोषाहार किया जाना है ।
	51-2236021010303	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	0.00	26,940.91	26,940.91	
	51-2236027890204	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	23,563.84	0.00	23,563.84	
	51-2236027890304	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	0.00	48,692.00	48,692.00	
	51-2236027960305	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	0.00	8,776.96	8,776.96	
31	51-4235021020208	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई० सी०डी०एस०)	14,401.00	0.00	14,401.00	12000 ऑगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण पर व्यय किया जाना है।
	51-4235021020308	राज्य स्कीम	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई० सी०डी०एस०)	0.00	1,600.02	1,600.02	
योग				3,56,467.06	2,27,622.98	5,84,090.04	
महायोग				31,92,036.53	63,55,501.31	95,47,537.84	

Copyright 2017 Finance Department, Govt. of Bihar